उत्तराखण्ड
लोक निर्माण विभाग

उत्तराखण्ड भासन

जनपद – चमोली

वृत्त का नामः– 7 वां वृत्त,लो0नि0वि0, गोपेश्वर

खण्ड का नाम :– प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर

कार्य का नामः– माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वनभूमि का क्षेत्रफल	:–	1.40 हे0 (सिविल वनभूमि)
मक डिस्पोजल का क्षेत्रफल	:–	0.072 हे0 (सिविल वनभूमि)
		1.472 हे0 (सिविल वनभूमि)

CHECK LIST

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
	1- Main Attachments		
1.1	Documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency.		Attached
1.2	Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted.		Attached
1.3	Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS.		Attached
1.4	Google Map of the proposed site showing legal status of the proposed land and alternative examined for the project with legend.		Attached
1.5	Note containing justification for locating the Project in forest land.		Attached
1.6	Certificate by DM- Forest Right Act-2006		Attached
1.7	Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation		Attached
1.8	Colored copy of the google map showing the land identified for CA.		Attached
1.9	If non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency? A Copy of ownership proof and No Objection Certificate		Attached
1.10	Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency.		Attached
1.11	Cost benefit anylises (in more then 5.0 ha. Land diversion cases)		**Not Required, as the Land Diversion is less than 5.0 HA**
	1- Additional Documents		
2.1	A short narrative and importance of the project.		Attached
2.2	Administrative and Financial sanction.		Attached
2.3	Preliminary Joint Inspection report.		Attached
2.4	Comperative chart showing statement of both alignment of the proposed project.		Attached
2.5	Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is available for the project in question and the demand of the forest land for the project is barest minimum.		Attached
2.6	Land schedule		Attached
2.7	Category wise land length, width and area		Attached
2.8	Bar Chart with index		Attached
2.9	Compensatory afforestation scheme in Civil and Soyam land		Attached
2.10	Certificate regarding suitability of indentified land for Comensatory Afforestation		Attached
2.11	Undertaking by the User Agency to bear the cost of compensatory afforestation		Attached
2.12	Road side plantation estimate		Attached

CHECK LIST

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
2.13	Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road side /gap filling plantation		Attached
2.14	Estimate of 100 trees plantation (less then 1.0 ha. cases)		**Not Required**
2.15	Details of the trees with their scientific name		Attached
2.16	Felling of Oak trees (if involves, inspection report of the concerning CF has to be provided)		Attached
2.17	Certificate from DFO If felling of trees is not involved		**Not Required**
2.18	Certificate of felling minimum trees during the project work		Attached
2.19	Muck disposal scheme		Attached
2.20	Status of the project area is a part of National Park or sanctuary and airal distance of the project from National Park or sanctuary		Attached
2.21	If the project area is within 10 Km radius of National Park or Centuary No objection certificate of CCF Wild Life		**Not Required**
2.22	If the Project falling within the National park or Sanctuary, needs recommendation of State Wild Life Board, National Board of Wild Life (NBWL) and permission of Hon'ble Supreme Court/MoEF GoI.		**Not Required**
2.23	No voilation has taken place, FC Act. 1980 reg		Attached
2.24	NOC from local Gram Sabhas		Attached
2.25	Approved general lay out plan/alignment and estimate from competent authority with name and designation.		**Not Required**
2.26	Component wise details of construction work.		**Not Required**
2.27	Certificate- work has not been started reg.		Attached
2.28	Geologist Report		Attached
2.29	Task Force report		Attached
2.30	Item wise details of work		
2.31	Certificate by user agency for complying the condition imposed in Standard Condition		Attached
2.32	Certificate by user agency for complying the condition imposed in geologist report/Task force recommendation in hill areas		Attached
2.33	No historical/monumental or relegeous place will be effected.		Attached
2.34	Undertakoing regarding no animal will be effected adversely by the project		Attached
2.35	Undertading to provide alternative fuelwood, kerosene or LPG to labours involved in project		Attached
2.36	Benefited villages/Families/Population Certificate		Attached
2.37	NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreem court /MoEF orders		Attached

CHECK LIST

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
2.38	Undertaking of payment of NPV, if Hon'ble Supreme Court increses the rates of NPV		Attached
2.39	Cost of the forest land and lease rent certificate		**Not Required**
2.40	Certificate of Lease period		**Not Required**
2.41	Demarcation of land to be diverted		Attached
2.42	Undertaking of user agency to bear the cost for demarcation work		Attached
2.43	Non-availibility of non-forest land for compensatory afforastation certificate.		**Not Required**
2.44	Fact sheet . /Other imp details		Attached

Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Gopeshwar

Executive Engineer
Provincial Division, PWD
Gopeshwar

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
सातवॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252173 E Mail :- sepwdgope@rediffmail.com

To Whome it May Concern to

It is state that Mr. Dhan Singh Rawat, Executive Engineer, Provincial Division, P.W.D, Gopeshwar is being authorized to make online submission of Forest Clearance Proposal for the Project as mentioned above on behalf of Provincial Division, P.W.D, Gopeshwar user agency.

09/8/16

अधीक्षण अभियन्ता
7 वाँ वृत्त लो० नि० वि०
गोपेश्वर (चमोली)

परिशिष्ट (देखिये नियम 6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा 2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग – 1

(प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिये)

1– परियोजना विवरण :–

(1) अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षितप्त विवरण	माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव
(2) 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों	मानचित्र संलग्न है।
(3) परियोजना की लागत	रु0 56.70 लाख
(4) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	उक्त मोटर मार्ग निर्माण से सीमांत पर्वतीय दूरस्थ ग्राम जैसाल को आवागमन की सुविधा एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगें। प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। विस्तृत विवरण संलग्न है।
(5) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)	
(6) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है	स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर मिलेंगें।
2– कुल अपेक्षित भूमि का उद्‌देश्य विवरण	1.472 हे0 वन भूमि उक्त निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तानान्तरित करना।
3– परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है –	
(1) परिवारों की संख्या (2) अनुसूचित जाति / जन जाति के परिवारों की संख्या (3) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)	लागू नहीं है।
4– क्या पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है – (हां / नहीं)	नहीं (मार्ग कच्चा है)
5– प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और / या दण्ड स्वरुप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–2 राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत ओर सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाय)	संलग्न है।
6– निर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का ब्यौरा –	विषय सूची के अनुसार ।

तिथि – 12/09/019
स्थान – गोपेश्वर

(डी॰एस॰ रावत)
अधिशासी अभियन्ता
प्रां॰खं॰ लो॰नि॰वि॰,
गोपेश्वर

प्रस्ताव की कम संख्या :–
(प्राप्त करने की तारिख नोडल अधिकारी द्वारा भरी जानी है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या – ....

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग – 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या – ....

7– परियोजना / स्कीम का स्थान –	**कौड़िया–सियासैंण**
(1) राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
(2) जिला	चमोली
(3) वन प्रभाग	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर
(4) वनेत्तर भूमि प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0)	
(5) वन की कानूनी स्थिति	सिविल / वन पंचायत वन भूमि
(6) हरियाली घनत्व	
(7) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि / श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलगन की जाय)। सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. – 2 मी0 पर परिगणना और एफ.आर.एल. –4 मी0 भी संलगन किये जायं	सूची संलग्न है।
(8) (1)भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न है
(2) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल (हे0 में)	
(9) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान,वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिर्जव, बाघ रिर्जव, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जायं)	नहीं
(10) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुलर्भ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हो / तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें।	नहीं
(11) क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय / पौरम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोइ अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं
8– प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	हां अपरिहार्य एवं न्यूनतम है
9– क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हां / नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं नहीं
10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा –	प्राकलन संनग्न
(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार	मानचित्र पर उल्लिखत है
(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र, आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है
(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन, ऐजेन्सी,समय,अनुसूची, लागत,ढांचा आदि	संलग्न है

(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तय परिव्यय — संलग्न है

(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय) — संलग्न है

11– जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 ;ग्पग्प्द्ध 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें। — संलग्न है

12– विभाग / जिलाप्रोफाइल :–

(1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र –	803000 हे0
(2) जिले का वन क्षेत्र –	514792 हे0
(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र	214 मामले
(4) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
(क) दण्ड के रुप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	
(ख) वनेत्तर भूमि पर	
(5) .... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
(क) वन भूमि पर	766.26 हे0
(ख) वनेत्तर भूमि पर	

13– प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव के अन्यथा लेने के सम्बन्ध उपवन संरक्षक की विशेष सिफारिश — वनभूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है

तिथि –

स्थान – गोपेश्वर

हस्ताक्षर

(नाम ....)

सरकारी मोहर

भाग – 3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारिख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रुप में संलग्न करें।

15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग "ख" में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि –

हस्ताक्षर

स्थान –

(नाम ....)

सरकारी मोहर

भाग – 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17– टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव के स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें)

(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक अथवा एप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि –

स्थान –

हस्ताक्षर

(नाम ....)

सरकारी मोहर

भाग – 5

(इसे वन विभाग प्रभारी, सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाता है)

18– राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

हस्ताक्षर

तिथि –

स्थान –

(नाम ....)

सरकारी मोहर

परियोजना का नामः- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 24.05.2019 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री सुजान सिंह फरस्वांण, वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री किरन, उप राजस्व निरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री अशीष चन्द्र थपलियाल, कनिष्ट अभियन्ताा द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.00 हे0, सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.4720 हे0, वन पंचायत भूमि 0.00 हे0 एवं नाप भूमि 0.35 हे0 प्रभावित होती है। मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की चौड़ाई 7.00 मी0 ली गई है एवं मार्ग का निर्माण 6.00 मी0 चौड़ाई में किया जायेगा। प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृश्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 500 मी0 नाप भूमि.से, 2000 मी0 सिविल भूमि से, 0.00 मी0 वन पंचायत से 0.00(मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.35 हे0 नाप भूमि 1.472 हे0 सिविल भूमि 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.472 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 72 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 1800 मी0 नाप भूमि.से, 6000 मी0 सिविल भूमि, 0.00 मी0 वन पंचायत से 0.00 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में 1.26 हे0 नाप भूमि, 4.20 हे0 सिविल भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 4.20 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी ।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चुने गये संरेखण का प्रारम्भ होने का स्थल का जी0पी0एस0 मान 79°24'40.68'- E, 30°24'57.42" – N है तथा यह स्थल कौड़िया-सियौंण मोटर मार्ग के सियासैंण नामक स्थान से प्रारम्भ होता है, समरेखण का अन्तिम स्थल ग्राम जैसाल है, जिसका जी0पी0एस0 मान 79°24'9.12" – E, 30°25'0.80" – N है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नही है । चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा ।

इस समरेखण पर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु. विभिन्न स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान 79°24'40.60"-E, 30°25'6.60"-N. 79°24'17.30"-E, 30°25'2.62"-N हैं।

मलवा निस्तारण हेतु डम्पिंग जोन प्रस्तावित हैं।

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

अमीन | J.E | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता प्रां0खं0 लो0नि0वि, गोपेश्वर

उप राजस्व निरीक्षक
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र......
त0......
जिला-चमोली

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

उपजिलाधिकारी
चमोली

(सुजान सिंह फरस्वांण)
वन दरोगा
गोपेश्वर (केदारनाथ)

उपजिलाधिकारी

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु राज्य योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या 1440/III(2)/11-05 (प्रा0आ0)/2016 दि0 28.03.2011 द्वारा 4.50 किमी0 लम्बाई हेतु रु0 56.70 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई। जिसके विरुद्ध मात्र 1.472 हे0 वनभूमि हस्तान्तरण का यह प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

इस मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति विकासखण्ड दशोली में पर्वतीय एवं दूरस्थ ग्राम जैसाल हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गयी है। उक्त संरेखण में ग्रमवासियों की पूर्ण सहमति प्राप्त है।

उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु दो संरेखणों पर विचार किया गया, किन्तु संरेखण नं0 1 इस प्रकार तय किया गया कि इसमें न्यूनतम वन भूमि एवं कम से कम वृक्ष पड़ें साथ ही इस संरेखण के मध्य कोई मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान, धार्मिक स्थल आदि नहीं पड़ते हैं, संरेखण का निरीक्षण भूगर्भवेत्ता द्वारा किया जा चुका है, भूगर्भीय दृष्टि से यह उचित पाया गया है, इस संरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक संरेखण उक्त बिन्दुओं को परिपूर्ण नही कर सकता है। क्योंकि संरेखण नं0 2 में अधिक वन सम्पदा का नुकसान होने के साथ ही एच0पी0 बैण्डों की संख्या (4) भी अधिक आ रही है, जिस कारण मार्ग एवं गांव के स्थायित्व को खतरा उत्पन्न होगा । अतः प्रस्तावित संरेखण नं0 1 उपयुक्त है, इस संरेखण में 1.472 हे0 में ही भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव गठित किया जा रहा है जो कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण 7.00 मी0 चौड़ाई में किया जा रहा है, मार्ग का निर्माण 6.00 मीटर चौड़ाई में किया जायेगा तथा इस मार्ग पर पड़ने वाले वृक्षों की गणना 7.00 मी0 चौड़ाई में ही की गयी है, जिसकी सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

अतः 2.50 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग मार्ग निर्माण हेतु 1.472 हे0 सिविल वनभूमि की आवश्यकता है, जो न्यूनतम है। उक्त वनभूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत

प्रेषक, संख्या:– 1440 / III(2) / 11–05(प्र0अ0) / 2010

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 28 मार्च, 2011

विशय:– मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की प्रशासकीय, वित्तीय एवं व्यय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक संयोजन योजना के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, लो0नि0वि0, पौडी/अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गये संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित 77 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यों यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू–अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट कन्सलटैन्सी आदि मदों के लिये टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 4950.43 लाख (₹ उन्चास करोड़ पचास लाख तिरालीस हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष में प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 77 कार्यों हेतु ₹ 7.70 लाख (₹ सात लाख सत्तर हजार मात्र) के व्यय की, महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

(ii)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0: 1764 / III(2) / 10–17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही पैदल सेतु का निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(iii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iv)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(v)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(vi)– आगणन में जिन मदो हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद मे किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vii)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट [illegible] एवं उक्त के विषय मे समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से [illegible] इसके अतिरिक्त यदि बैठकों के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0

28	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकासखण्ड कीर्तिनगर में बलोन से दयूली बिनाणी मो0मा0 का नव निर्माण।	7.00		88.20	0.10
29	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड नारायणबगड में नारायणबगड–भगोती मो0मा0 के किमी09 से सिलोडी–मनूड़ा–देवली लग्गा छैकुड़ा मो0मा0 का निर्माण।	4.00		50.40	0.10
30	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत थिरपाक काण्डई मो0मा0 के किमी0 2 से चोपडाकाट तक मो0मा0 का निर्माण।	4.00+ 1 सेतु		50.40	0.10
31	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत आगर जिनगोड मो0मा0 का वासीसेम लग्गा अक्सवाड़ा तक मो0मा0 का विस्तार।	7.00		88.20	0.10
32	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के वि0ख0 कर्णप्रयाग में गौचर–दुवा मो0मा0 से ग्राम अंगोथ तक मो0मा0 निर्माण का प्रारम्भिक आगणन।	2.00		25.20	0.10
33	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में वि0ख0 पोखरी में रौता- मालकोटी–सेरा मो0मा0 निर्माण का प्रारम्भिक आगणन।	5.00		63.00	0.10
34	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड देवाल में मानमति–चटिंग–हरमल–झलिया मो0मा0 का निर्माण।	20.00		252.00	0.10
35	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड थराली में जुनीधार–गोतिण्डा–टुन्ड्री मोटर मार्ग का निर्माण	10.00		126.00	0.10
36	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत ग्राम भंग्यूल एवं गहर को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु 4.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग एवं किमी0 1.00 में अलकनन्दा नदी पर 90.00 मी0 स्पान मोटर सेतु का निर्माण	1 सेतु + 4.00 किमी0 मोटर मार्ग		50.40	0.10
37	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कोंडिया–सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग का विस्तार	4.50 किमी0 मोटर मार्ग + 1 सेतु		56.70	0.10
38	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में अन्थोली–जाखाल मो0मा0 से विरानगाड तक मो0मा0 का नव निर्माण।	3.00		37.80	0.10
39	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में रूद्रप्रयाग–पोखरी मो0मा0 के किमी0 10 ढमक्या बैण्ड से बौंठा लग्गा खतेणा तक मो0मा0का नवनिर्माण।	3.00		37.80	0.10
40	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड ऊखीमठ में भुन्नी बैण्ड से सरुणा तक मो0मा0 का नव निर्माण का प्रारम्भिक आगणन।	3.00		37.80	0.10
41	मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड [illegible] में [illegible] याहियापुर तक मार्ग [illegible]	3.00			0.10

Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर

(viii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0- 22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-03- मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक संयोजन योजना-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(xi)- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 198/XXVII/(2)/2010 दि0: 28 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्याः- 1440 (1)/III(2)/11-05(प्रा0आ0)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

कार्यालय
अधीक्षण अभियन्ता
7 वाँ वृत्त लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर (चमोली)

पृष्ठांकन सं0 1141/9 बजट 7/11 दि0 31/3/2011
प्रतिलिपि - अधिशासी अभियन्ता प्रा0/नि0/अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गोपेश्वर/कर्णप्रयाग/रुद्रप्रयाग/उखीमठ/थराली/गौचर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.
प्रतिलिपि - कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 वर्ग को सूचनार्थ प्रेषित
प्रतिलिपि - गार्ड फाइल हेतु
प्रतिलिपि - [illegible] रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ

अधीक्षण अभियन्ता
7 वाँ वृत्त लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर (चमोली)

Photocopy Attested
Attested
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर

डिजिटल मैपः—मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौडिया सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु

Toposheet No: 53N/07

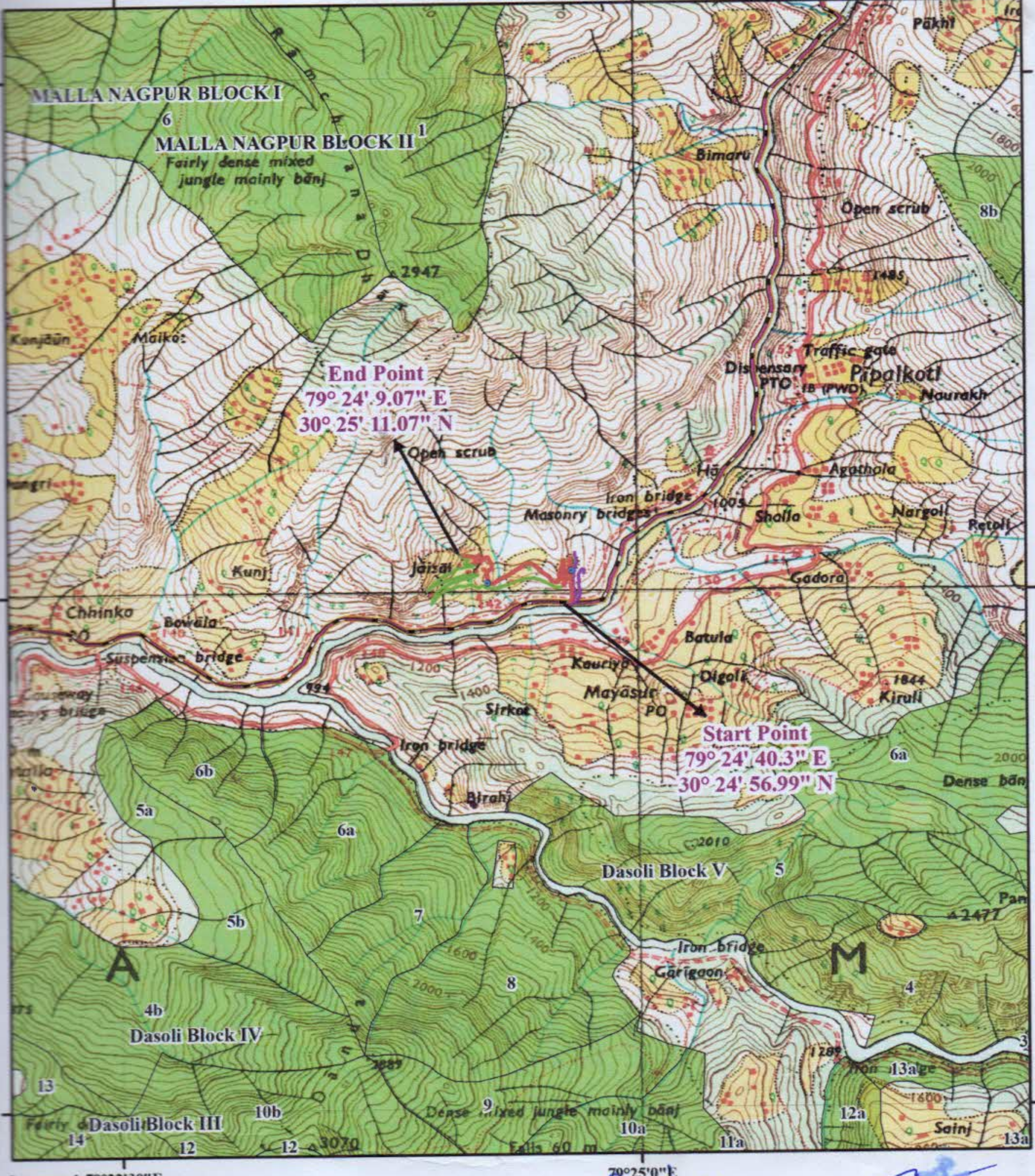

Legend

	Reserve Forest Area
	Reserve Forest Boundary
	Forest Division Boundary
	Proposed Road
	Existing Road
	Alternate Road
	Muck Point

0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

Scale-1:50,000

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

जियोरेफेरेन्स मैपः—मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौडिया सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु

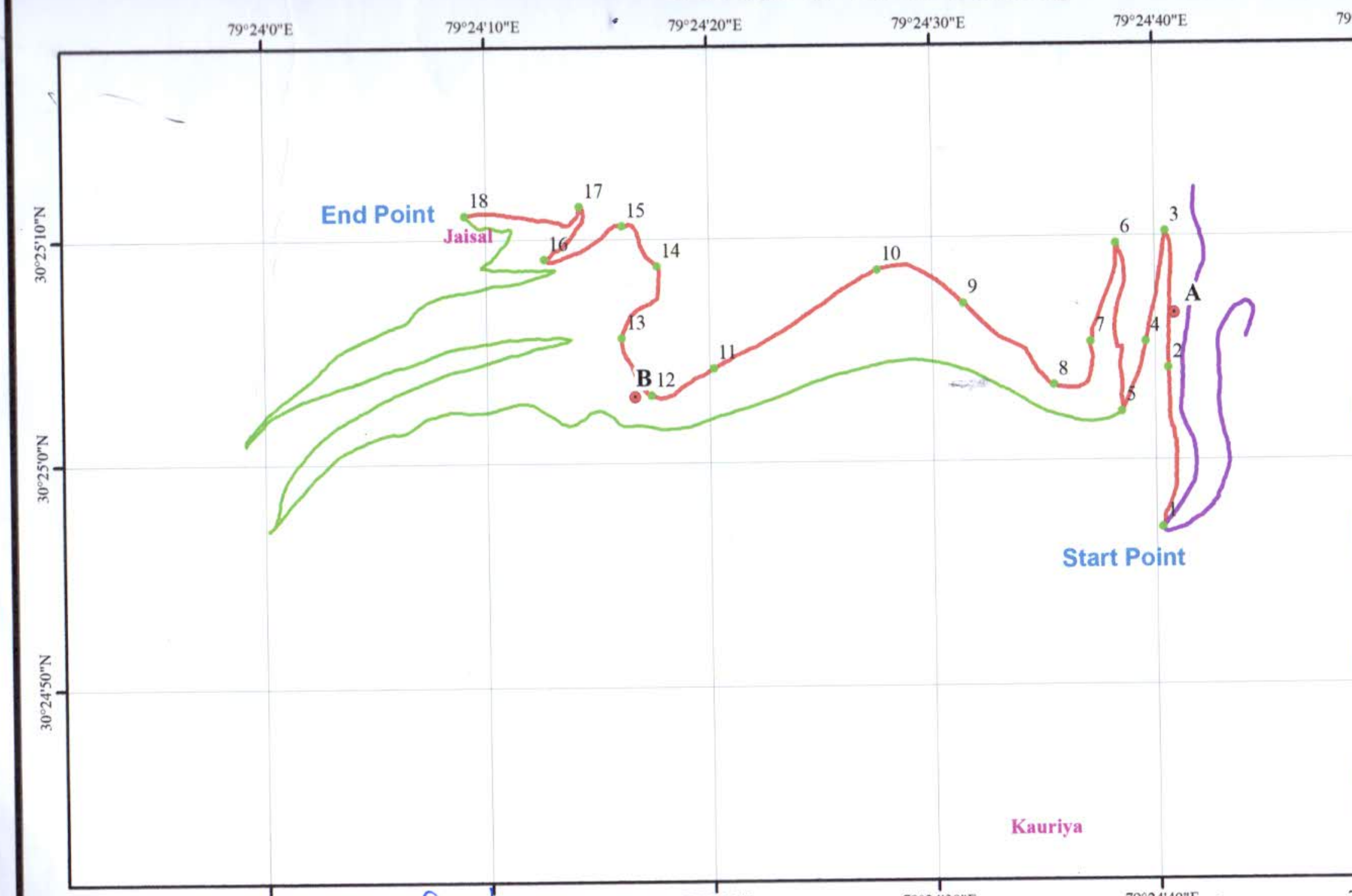

Co-ordinates of Muck Disposal		
Id	Longitude	Latitude
A	79° 24' 40.9" E	30° 25' 6.52" N
B	79° 24' 16.65" E	30° 25' 2.94" N

Co-ordinates of Proposed Road		
Id	Longitude	Latitude
1	79° 24' 40.3" E	30° 24' 56.99" N
2	79° 24' 40.61" E	30° 25' 4.08" N
3	79° 24' 40.52" E	30° 25' 10.17" N
4	79° 24' 39.59" E	30° 25' 5.26" N
5	79° 24' 38.49" E	30° 25' 2.17" N
6	79° 24' 38.28" E	30° 25' 9.66" N
7	79° 24' 37.11" E	30° 25' 5.27" N
8	79° 24' 35.46" E	30° 25' 3.36" N
9	79° 24' 31.41" E	30° 25' 7.02" N
10	79° 24' 27.55" E	30° 25' 8.54" N
11	79° 24' 20.19" E	30° 25' 4.2" N
12	79° 24' 17.39" E	30° 25' 3.01" N
13	79° 24' 16.08" E	30° 25' 5.57" N
14	79° 24' 17.66" E	30° 25' 8.77" N
15	79° 24' 16.11" E	30° 25' 10.57" N
16	79° 24' 12.62" E	30° 25' 9.1" N
17	79° 24' 14.21" E	30° 25' 11.44" N
18	79° 24' 9.07" E	30° 25' 11.07" N

Legend
- Proposed Road
- Existing Road
- Alternate Road
- GPS Coordinates of Road
- Muck Point

1:8,000
0 0.0375 0.075 0.15 0.225 0.3 km

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

Justification

Name of The Project :- **Construction of Kodiya-Siasain motor road to Jaisal Village motor road. Under Mukhyamatri Sadak Sanyojan Yojana.**

Necessity of the Project and Justification for locating the Project in Forest Area

Presently the villagers of Jaisal have to walk through a distance of 2.50 Km to meet their daily needs as there is no road connecting the village. Due to the non-existent of any road connectivity the lives of the villagers are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency such as maternity.

Further, due to non-existent of the road connectivity the area remains backward in all respects. The main occupation of the villagers residing in this village is animal husbandry and agriculture.

The villagers are forced to carry their cultivated crops such as Adrak, Mirch, Lehsoon, Dhan, Ghehun, Green Vegetable etc. on their feet or by mules to the nearby market.

Due to the construction of road following benefits are provided to local People & Government too.

1- Enhance the social and economical development of this area.
2- Migration of people from the village shall be minimized.
3- Due to easily accessibility forest can be protected from fire during summer season to save Vegetation Plants & animals.
4- The Village People will travel large distance for their Jobs.
5- Local people will find jobs near their village.
6- More women will get employment & will improve their economic situation.
7- Educational development in this area.
8- Hospital and medical facilities.

The forest land area falling in the proposed alignment of the road which is 1.472 Hectare has been surveyed to the minimum and also the alignment of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree felling. Other than the proposed alignment for the road, there is no such alignment which shall reduce the diversion of forest area or felling of the trees. The overall width proposed for acquiring of the land is 7.00m and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 m in straight reaches. The Geological Investigation along the proposed alignment has been carried out which also states that the proposed alignment of the road is safe for construction. There are no graveyards, religious, historical/monumental or legendry places falling in the proposed alignment of the road.

In view of the above facts and in public interest, it is requested that the Forest land area of 1.472 Hectare may kindly be diverted for the construction of the road.

Assistant Engineer
Provincial Division PWD
Gopeshwar

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

Executive Engineer
Provincial Division PWD
Gopeshwar

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

Form-1
(For Linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :- **Dated :-** 25/01/2020

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-FG(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 1.472 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Kodiya-Siyasain motor raod to Village Jaisal motor road Under Chief Minister Gram Sadak Sanyojan Yojana. (State Sector), Length 2.50 Km. Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.472 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s), Gram sabha (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District level committee are enclosed.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.

Encl: As Above.

Signature

(Swati S. Bhadoriya)
(District Magistrate Chamoli)
जिला अधिकारी
चमोली

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

DM FRA Letter

ANNEXURE

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate. Chamoli on dated 25/01/2020 at time ....at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 1.472 hect for the Kodiya-Siyasain motor raod to Village Jaisal motor road Under Chief Minister Gram Sadak Sanyojan Yojana. (State Sector), Length 2.50 Km. Under PWD Gopeshwar. Forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Dasoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: 25/01/2020

Signature

(Swati S. Bhadoriya)
(District Magistrate Chamoli)
जिला अधिकारी
चमोली

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

DM FRA Letter

प्रपत्र 232

परियोजना का नामः— मा.मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया—सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग का विस्तार ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी चमोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

जनपद चमोली, विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत कौड़िया—सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग का विस्तार हेतु 1.472 हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्ननुसार हैः—

1— सुश्री बुशरा अंसारी ....उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
2— श्री ....उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
3— श्री सुनील नेगी ....सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य / सचिव
4— श्री श्रीमती विनीता देवी ....बी.डी.सी. क्षेत्र सदस्य

विनीता देवी बी०डी०सी० मैयर क्षेत्र पंचायत दशोली (चमोली)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा.मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया—सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग का विस्तार हेतु 1.472 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पशट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

उपजिलाधिकारी अध्यक्ष उपजिलाधिकारी चमोली	उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य	सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य / सचिव सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड दशोली चमोली	वी.डी.सी.क्षेत्र सदस्य देवेन्द्र सिंह नेगी सदस्य जिला पंचायत बाटुला जिला-चमोली

DM FRA Letter

परियोजना का नामः– मा० मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौठिया-सिमासैंण मो० मार्ग से ग्राम जैसाल तक मो० मार्ग का विस्तार।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कोठिया-सिमासैंण मो० मार्ग से ग्राम-जैसाल तक मो० मार्ग .... निर्माण हेतु 1.472 हे0 वनभूमि हस्तान्तरण हेतु 1.472 हे0 सिविल/आरक्षित वनभूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य हैं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का क़ब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि 1.472 हे0 सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिये परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत जैसाल
प्रधान
ह० मीना देवी
दिनांक 24/6/2019
वि० ख० दशोली चमोली

हस्ताक्षर प्रधान

DM FRA Letter

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 24/6/2019 को ग्रामसभा जैसाल की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

कम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	DINESH CHANDRA	[illegible]
2	होशिलाल	होशिलाल
3	कमला देवी	कमलादेवी
4	कुलदीप जैसाल	[illegible]
5	[illegible] देवी	[illegible]
6	अनुसूया प्रसाद	अनुसूया प्रसाद
7	सरला देवी	सरलादेवी
8	[illegible] चन्द्र	[illegible]
9	कृष्णा डंडरियाल	Krishna
10	जगदम्बा प्रसाद	[illegible]
11	गौरव कुमार	[illegible]
12	मनोज चंद	[illegible]
13	दीपक	Deepak
14	रीना देवी	Reena Devi
15	तिलोचना देवी	तिलोचना देवी
16	चन्द्रमणी कुलश्री	चन्द्रमणी
17	देवेन्द्र प्रसाद	[illegible]
18	[illegible] - [illegible] देवी	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]
20	रमेश चन्द्र	रमेशचन्द्र

DM FRA Letter

21-	हरीश प्रकाश —	[illegible]
22-	भुवनेश्वर प्रसाद	[illegible]
23-	विनोद कुमार	विनोद प्रसाद
24	- शालिनी देवी	[illegible]
25	संदीप कुमारी	[illegible]
26	पुष्पा देवी	पुष्पादेवी
27	आशा देवी	आशा देवी
(24)	प्रेमलता —	प्रेमलता
(25)	दुर्गाप्रसाद —	दु.प्र. शर्मा
(26)	गोविन्द प्रसाद	
(28)	पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
(29)	रामी देवी	रामी देवी
(30)	कमला देवी	कमला देवी
(31)	पीताम्बर दत्त	पीताम्बर दत्त

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रस्तावित परियोजना हेतु दो संरेखणों पर विचार किया गया, समरेखण नम्बर एक उचित एवं उपयुक्त पाया गया, संरेखण नम्बर दो भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अनपयुक्त पाया गया।

अमीन कनिष्ठ अभियन्ता सहायक अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
सातवाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर
Ph.No./Fax No – 01372-252173 e-mail – sepwdgope@rediffmail.com

पत्रांक : 2995 / 414 यातायात – 07 / 2015, दिनॉक:-24-07-2015

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर।

विषय : मा० मुख्यमंत्री जी सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत कौड़िया–सियासैण मोटर मार्ग से जैसाल तक मोटर मार्ग लम्बाई 4.50 कि०मी० + 30 मी० स्पान मोटर लौह सेतु निर्माण कार्य का संरेखण प्रस्ताव अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक 2428 / 1 सी० दिनॉक 21.07.2015

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त संरेखण प्रस्ताव आपकी संस्तुति एवं आख्या के आधार पर संरेखण नं० 1 जो कन्टूर प्लान में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है, लम्बाई 3.00 कि०मी० + 20 मी० स्पान मोटर लौह सेतु हेतु अनुमोदित कर एक प्रति में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न : संरेखण प्रस्ताव एक प्रति में।

अधीक्षण अभियन्ता,
सातवॉ वृत्त, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

प्रतिलिपि – कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) वृत्तीय कार्यालय को उक्त प्रस्ताव की प्रति सहित अभिलेख हेतु प्रेषित।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D
GOPESHWAR

अधीक्षण अभियन्ता,
सातवॉ वृत्त, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

(4)

संरेखण आख्या

कार्य का नामः– **माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से जैसाल तक मोटर मार्ग एवं 30 मी॰ स्पान मोटर लौह सेतु निर्माण का संरेखण प्रस्ताव।**

मार्ग की स्वीकृतिः– शासनादेश सं॰ 1440/III(2)/11–50 (प्रा0आ0)/2010 दि॰ 28.03.2011

स्वीकृत लम्बाई :– 4.50 किमी॰ + 30 मी॰ स्पान मोटर लौह सेतु

लागत :– ₹ 56.70 लाख।

संरेखण की उपयोगिताः– विकासखण्ड दशोली में माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से जैसाल को सर्वऋतु मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु कुल 4.50 किमी॰ मोटर मार्ग की आवश्यकता है, जिसके तहत **4.50** किमी॰ लम्बाई में मोटर मार्ग निर्माण हेतु शासनादेश सं॰ 1440/III(2)/11–50 (प्रा0आ0)/2010 दि॰ 28.03.2011 द्वारा रु॰ 56.70 लाख की स्वीकृति (छाया प्रति संलग्न) प्रदान की गयी है।

यह संरेखण करने से पूर्व ग्रामवासियों की बैठक कर सर्वेक्षण चयनित स्थानों से पूर्ण किया गया। इस संरेखण प्रस्ताव में मार्ग का ग्रेड पूर्ण लम्बाई में 1:20 रखा गया है एवं इसमें 4 एच.पी. बैण्ड पड़ते है। उक्त मोटर मार्ग सियासैंण से प्रारम्भ होकर ग्राम जैसाल तक जाता है। मार्ग का भू–वैज्ञानिक द्वारा भी दि॰ 08.07.2015 को निरीक्षण किया जा चुका है तथा इस पर उनकी भी सहमति है (छाया प्रति संलग्न)। इस संरेखण में कोई विवाद नहीं है एवं इससे मार्ग की लम्बाई भी 3.00 किमी॰ आती है, जिसमें कि 0.300 किमी॰ मार्ग नापभूमि एवं शेष 2.70 किमी॰ मोटर मार्ग सिविल वनभूमि से गुजरता है। मार्ग के किमी॰ 2.00 में 20 मी॰ स्पान के लौह सेतु की आवश्यकता होगी। प्रथम संरेखण कन्टूर प्लान में ~~हरे~~ लाल रंग से दर्शाया गया है एवं संरेखण नं॰ 2 को ~~लाल~~ हरे रंग से दर्शाया गया है।

प्रस्तावित मार्ग का संरेखण इस प्रकार तय किया गया है कि न्यूनतम वन भूमि एवं कम से कम वृक्ष पड़ें। प्रस्तावित संरेखण पर कोई मंदिर, मस्जिद एवं धार्मिक स्थल नहीं पड़ते हैं एवं संरेखण का निरीक्षण भूगर्भवेत्ता द्वारा किया जा चुका है, इस संरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक संरेखण उक्त बिन्दुओं को परिपूर्ण नहीं करता है।

संरेखण का विवरणः– माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से जैसाल को जोड़ने हेतु 3.00 किमी॰ लम्बाई में इस मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु सर्वे ऑफ इण्डिया के कन्टूर, मानचित्र पर प्रस्तावित समरेखण क्रमशः लाल एवं हरे रंग से दर्शाया गया हैं। जिसमें लाल रंग प्रस्तावित संरेखण से क्षेत्र की जनता सन्तुष्ट है तथा तुलनात्मक विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरेखण (1) ही उचित है।

अतः प्रस्तावित संरेखण जो कि लाल रंग से अंकित है, संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु प्रेषित है।

प्रथम संरेखण में दो एच॰पी॰ बैंड (II ∧ III) की मध्य दूरी 200मी॰ से कम है, 200मी॰ से अधिक दूरी लेने पर भू-स्खलन क्षेत्र पड़ता है। इसी कारण दो एच॰पी॰ बैंड की दूरी 25 मी से कम ली गई है।

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D
GOPESHWAR

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो॰ नि॰ वि॰
गोपेश्वर

तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखंण (1) लाल रंग में	समरेखंण (2) हरा रंग में
1.	मुख्य विशेषताऐं एवं विवरण	जनपद चमोली मे राज्य योजना के अन्तर्गत मा॰ मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया – सियासैंण मोटर मार्ग से जैसाल तक मोटर मार्ग नव निर्माण करने हेतु संरेखण गठित किया गया है। जिसमें ग्राम जैसाल की सहमति प्राप्त है।	समरेखण नं॰ 1 के अनुसार
2.	प्रस्तावित दृष्टिकोण से समरेंखण की लम्बाई	3.00 किमी॰	3.00 किमी॰
3.	वर्तमान यातायात के साधन	पैदल मार्ग	पैदल मार्ग
4.	भूमि (अ) सिविल भूमि (ब) कृषि योग्य भूमि 1. सिंचित 2. असिंचित	 शून्य 0.300 किमी॰ 2.70 किमी॰	 शून्य 0.400 किमी॰ 2.60 किमी॰
5.	सूर्य प्रकाशित भूभाग	शून्य	शून्य
6.	भूस्खलन	शून्य	शून्य
7.	भूमि	मिटटी, पत्थर, कठोर चट्टान आदि	मिटटी, पत्थर आदि
8.	वनस्पति	पैड़ पौधे	पैड़ पौधे
9.	मार्ग का ढाल	1:20 R, 1:20 F, 1:20 R	1:20 R, 1:20 F, 1:18 R, 1:20 R
10.	अनुप्रस्थ ढाल–1. सामान्य ढाल 2. तीव्र ढाल	40 से 60 तक 20 से 40 तक	50 से 70 तक 30 से 50 तक
11.	भू–भाग 1. कठोर चट्टान 2. कोमल चट्टान	1.00 किमी॰ 2.00 किमी॰	2.00 किमी॰ 2.20 किमी॰
12.	अस्थिर भूमि की लम्बाई	शून्य	शून्य
13.	साधन 1. लकड़ी 2. पत्थर 3. मजदूर	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D

14.	पानी का निकास (अ) छोटे पुल संख्या व विस्तार (अ) बडे पुल संख्या व विस्तार	किमी॰ 2 में 20 मी॰ स्पान लौह सेतु	किमी॰ 2 में 20 मी॰ स्पान लौह सेतु
15.	वर्षा एवं जलवायु की दशा	मार्ग मात्र ग्रीष्म ऋतु योग्य रहेगा। ठंडी जलवायु	समरेखण नं॰ 1 अनुसार
16.	लाभांविन्त ग्रामों की संख्या (अ) प्रत्यक्ष रुप से (ब) अप्रत्यक्ष रुप से	ग्राम का नाम कोड सं॰ जनसंख्या एस॰सी॰ जैसाल 00083200 190 —	— समरेखण नं॰ 1 अनुसार
17.	वर्तमान मार्ग से प्रस्तावित मार्ग का सम्बन्ध	यह संरेखण कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से जैसाल का तक मोटर मार्ग नव निर्माण करने हेतु संरेखण गठित किया गया है। जिसमें ग्राम जैसाल की सहमति प्राप्त है। जिससे इस गांव की जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी।	समरेखण नं॰ 1 अनुसार
18.	सामरिक महत्व	—	—
19	हेयर पिन बैण्ड	4 नं॰	5 नं॰
20	कृषि एवं फल की दृष्टि से महत्व	क्षेत्र की मुख्य पैदावार जैसे आलू, दाल, फूल, सब्जी आदि का ढुलान स्थानीय बाजार में आसानी से पहुँचने के कारण बाजार की सुविधा मिलेगी।	समरेखण नं॰ 1 अनुसार
21.	वन सम्पदा का उपयोग	जड़ी बूटी एवं अन्य वन सम्पदा का संरक्षण हो सकेगा।	समरेखण नं॰ 1 अनुसार
22.	खनिज सम्पदाओं का उपयोग।	खनिज सम्पदाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा खनिज का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा।	समरेखण नं॰ 1 अनुसार
23.	लाभ व हानि ASSISTANT ENGINEER PROVINCIAL DIVISION P.W.D GOPESHWAR	1. कठोर चट्टान कम लम्बाई में पड़ेंगी। 2. ग्राम वासियों के मकानों को कोई क्षति नहीं होगी। 3. तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयोगी हैं। 4. इस संरेखण में 4 एच॰पी॰ बैंड पड़ेगे। 5. इस सरेखण से ग्रामवासी भी पूर्ण रूप से सहमत हैं। 6. मार्ग के किमी॰ 2.00 में 20 मी॰ स्पान मोटर लौह सेतु की आवश्यता होगी, किन्तु उक्त सेतु से मार्ग के स्थाईत्व को कोई भी खतरा नहीं है। 7. इस संरेखण पर मार्ग का निर्माण मितव्ययी होगा।	1. कठोर चट्टानें अधिक लम्बाई में पड़ेगी। 2. ग्राम वासियों के खेतों की क्षति होने की सम्भावना है, साथ ही उक्त संरेखण में वृक्षों की संख्या भी अधिक आ रही है। क्षतिग्रस्त सम्पतियों के लिए अधिक मुआवाजा देने की प्रबल स्थिति बनी हुई है। 3. तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयोगी नहीं हैं। 3. इस संरेखण में 5 एच॰पी॰ बैंड पड़ेगे। 4. नाप भूमि अधिक पड़ने की सम्भावना के

			कारण तथा इस संरेखण की लम्बाई अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण निर्माण में अधिक लागत के व्यय होने से उपयोगी नहीं है। 5. अधिक लम्बाई होने के कारण तथा ग्रामीणों के अधिक खेतों के आने से ग्रामवासी कतई सहमत नहीं हैं। 6. मार्ग के किमी॰ 4.50 में 30 मी॰ स्पान लौह सेतु की आवश्यकता होगी, जिस कारण निर्माण की लागत अधिक आयेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

PCA

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D
GOPESHWAR

कार्य का नाम :- विकासखण्ड दशोली में कोड़िया सियासैंण मोटर मार्ग से जैसाल तक मोटर मार्ग एवं 30 मीटर लौह सेतु निर्माण कार्य,

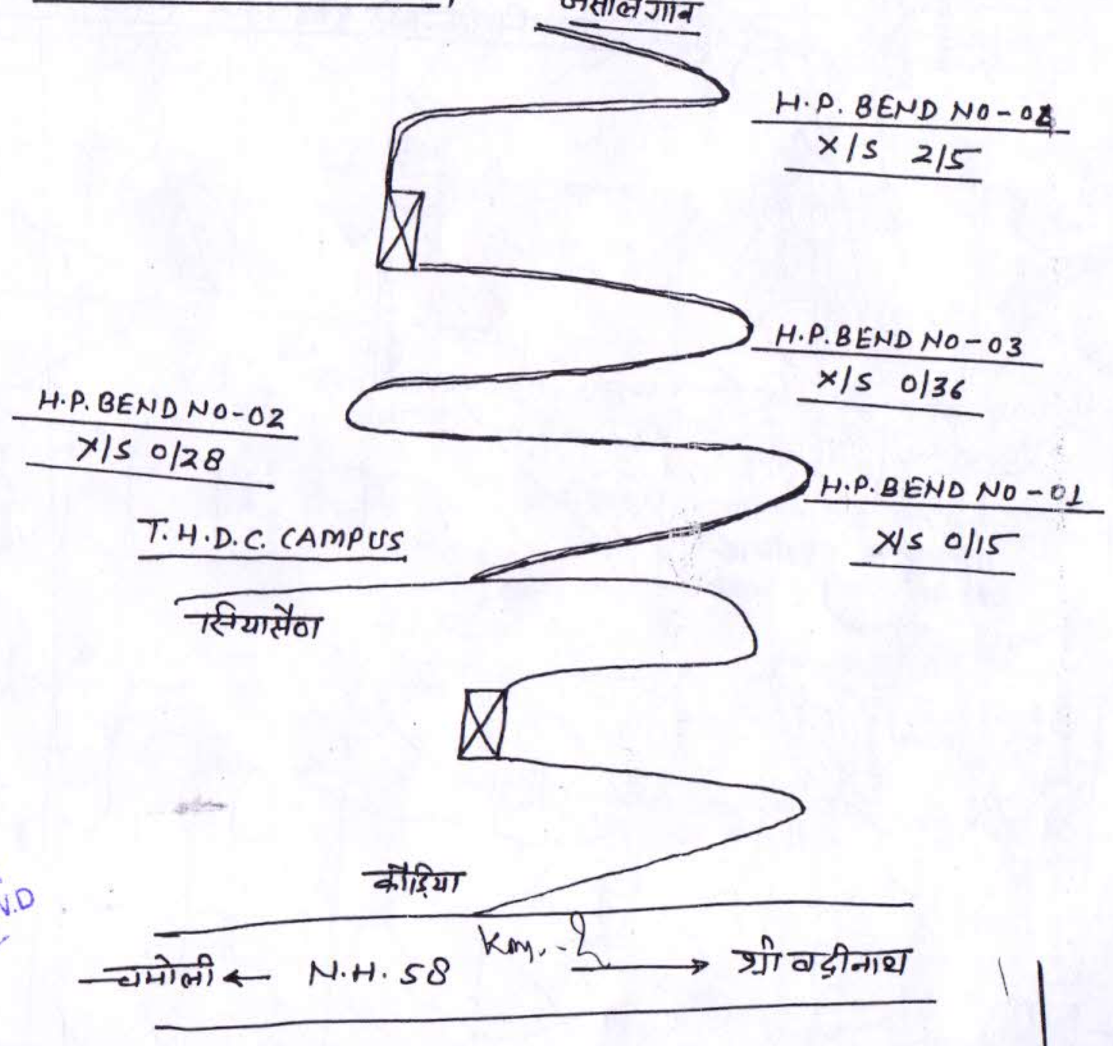

PCA

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D
GOPESHWAR

NOTE:. Dimension's In Not in Scale.

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

JE

AE

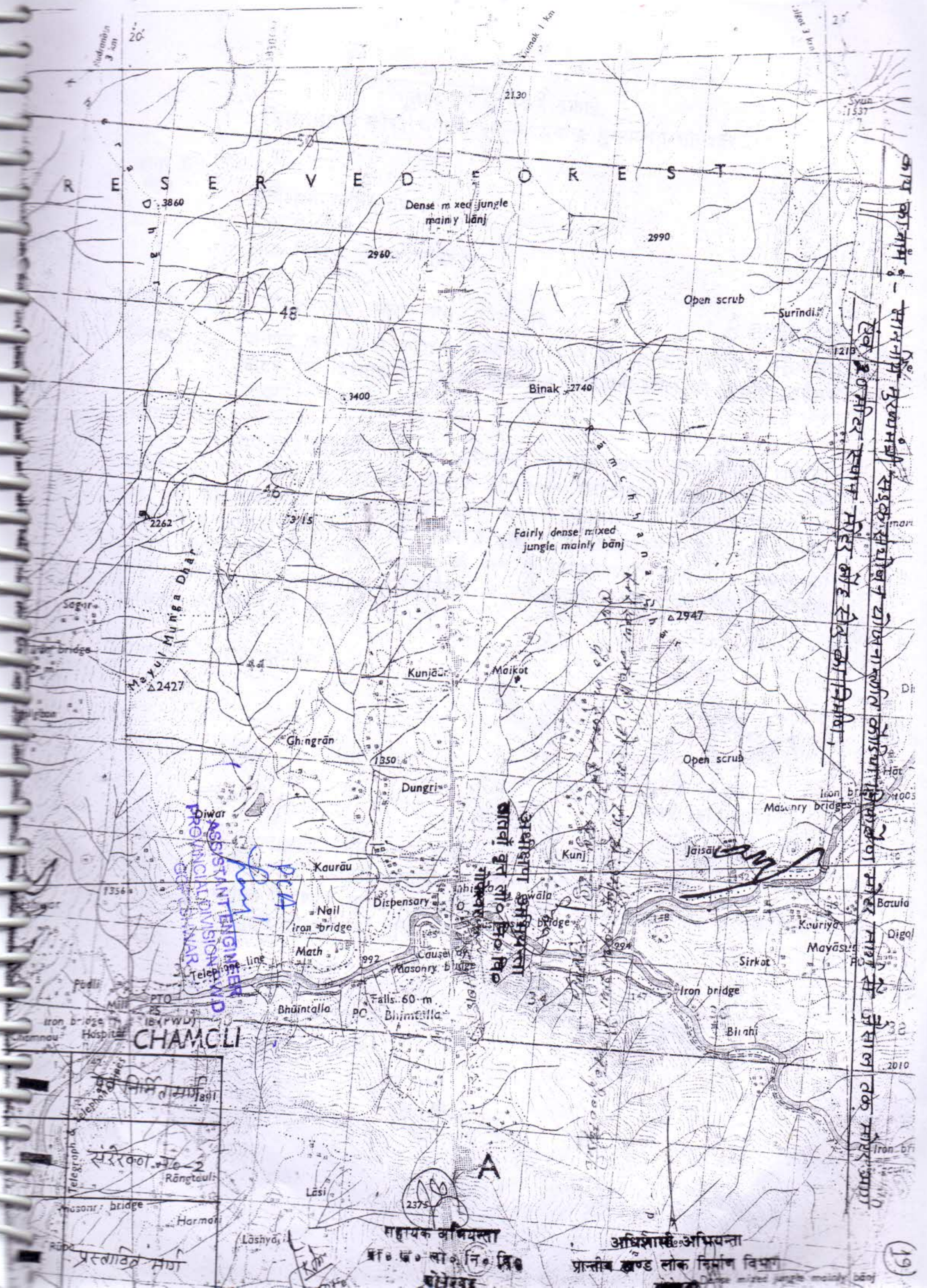

RESERVED FOREST
Dense mixed jungle mainly bānj
Fairly dense mixed jungle mainly bānj
Open scrub
Open scrub
Binak 2740
Surindi
Kunjāūr
Maikot
Ghingrān
Dungri
Diwar
Kaurāu
Dispensary
Nail
Iron bridge
Math
Telephone line
Causeway
Masonry bridge
Falls 60 m
Bhūintallo
PO Bhimtalla
CHAMOLI
Hospital
Jaisal
Kunj
Sirkot
Birahi
Mayāsu
Kauriya
Bazula
Digol
Masonry bridges
Iron bridge
Rāngtauli
Harmani
Lāsi
Lāshyā
Mayul Munga Dhar
3860
2960
2990
3400
2262
2427
2947
1350
992
2375
2130
ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
सहायक अभियन्ता
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
प्रस्तावित मार्ग
A

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला टास्क फोर्स, चमोली एवं रूद्रप्रयाग, मुख्यालय गोपेश्वर

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः 129 / जि0टा0फो0 / मोटर मार्ग / 2015–16, दिनांक 8 जुलाई 2015

विषयः **जनपद चमोली मे स्पेशल कम्पोनन्ट प्लान के अन्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग विस्तार हेतु (3.000 कि0मी0) समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर के पत्र संख्या 96 / 23 LA, दिनांक 11.5.2015, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली / रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित व आपको पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा उपरोक्त समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्पन्न कर भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या आपके सुलभ संदभार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय
8/7/15
सहायक भूवैज्ञानिक /
प्रभारी अधिकारी।

पृष्ठांक : / जि0टा0फो0 / मोटर मार्ग / 2015–16 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : 1. जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

Attested

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D
GOPESHWAR

सहायक भूवैज्ञानिक /
प्रभारी अधिकारी।

निoआoसo– /जिoटाoफोo चo/रूo/मोटर मार्ग/2015–16

जनपद चमोली मे स्पेशल कम्पोनन्ट प्लान के अन्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग विस्तार हेतु (3.000 किoमीo) समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या

सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 96/23 LA, दिनांक 11.5.2015, जो कि सहायक भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित व अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा जनपद चमोली मे स्पेशल कम्पोनन्ट प्लान के अन्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग विस्तार हेतु (3.000 किoमीo) समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री शरद कुमार टम्टा, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री धूम सिंह बुटोला, वर्क एजेंट, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर के प्रतिनिधि व श्री दिनेश चन्द्र, ग्राम प्रधान जैसाल की उपस्थिति मे उपरोक्त स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या निम्नवत है :–

प्रश्नगत मोटर मार्ग समरेखण स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–58 के लगभग किoमीo 439.500 से कौड़िया–सियासैंण तक लगभग 2.50 किoमीo पर रेशम विभाग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मोटर मार्ग समरेखण अलकनन्दा नदी के दाहिने तट का अपस्लोप पहाड़ी ढालयुक्त भूभाग है। सम्पूर्ण मार्ग समरेखण स्थल लगभग 20^0–60^0 दक्षिणपूरब व दक्षिणपश्चिम फेसिंग पहाड़ी ढालों के मध्य अवस्थित है जिसमें कतिपय स्थल लगभग ऊर्ध्वाधर ढालयुक्त भूभाग के रूप मे विद्यमान हैं।

उक्त मोटर मार्ग स्थल को 1:20 ग्रेडिएन्ट के द्वारा 04 एचoपीo बैण्डों के साथ ग्राम जैसाल तक निर्माण किया जाना है जो कि 0/15, 0/28, 0/36 व 2/5 मे प्रस्तावित हैं जिसमें 02 एचoपीo बैण्ड्स एक ही पहाड़ी ढाल पर प्रस्तावित हैं। मोटर मार्ग समरेखण को ग्रामवासियों की निजी नाप भूमि व वन पंचायत भूमि के मध्य से होकर गुजारा जाना है। समरेखण स्थल में कतिपय स्थलों पर मृदा की गहराईयुक्त मोटी परत विद्यमान है। मृदा का रंग हल्के भूरे प्रकृति व समरेखण में स्थानीय प्रजाति की घास, झाड़ियॉ, वृक्ष आदि विद्यमान हैं। मोटर मार्ग समरेखण स्थल का कुछ भूभाग मृदा बाहुल्य क्षेत्र के रूप मे दृष्टिगोचर होता है अतः स्वाइल मैकेनिक्स के सुरक्षित सिद्वान्तों एवं मृदा की भार ग्राह्यता क्षमता के अनुरूप मोटर मार्ग मे रिटेनिंग वाल व ब्रेस्टवाल (वीप हॉल सहित) का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा। समरेखण स्थल मे क्वार्टजिटिक, फिलिटिक व स्लेट प्रकृति की चट्टानें विद्यमान हैं, जो कि भूगर्भीय साहित्य में लेसर हिमालय के अन्तर्गत गढ़वाल समूह की चट्टानों में वर्गीकृत की गयी हैं जिनकी प्रसार व नति $230^0/60^0$ उत्तरपश्चिम है, जो कि थिन बैडिंग प्लेन व ज्वाइन्टेड प्रकृति की हैं।

0.000 किoमीo से 1.500 किoमीo के मध्य :

उक्त के मध्य मोटर मार्ग समरेखण का प्रारम्भ पूर्व मे निर्मित मोटर मार्ग के ऊपर/उत्तरपश्चिम भूभाग मे किया जाना है। उक्त के मध्य 02 एचoपीo बैण्डों के द्वारा समरेखण निर्माण निर्माण हेतु प्रस्तावित है। मोटर मार्ग समरेखण स्थल का सामान्य पहाड़ी ढाल लगभग 40^0 तक हो जाता है। प्रारम्भ मे समरेखण स्थल की सतह पर स्वस्थान चट्टानों का अभाव पाया गया जिसमें अपस्लोप से स्खलित मृदा व चट्टानों के फ्रैगमेन्ट्स

PCA

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

मिश्रित अवस्था मे विद्यमान हैं जो कि वर्तमान समय मे स्थिर एंगल ऑफ रिपोज के साथ अवस्थित है।

चूंकि उक्त स्थल सक्रिय भूकम्पीय जोन मे अवस्थित है अतः लघु से मध्यम तथा यदाकदा अधिक तीव्रता के भूकम्पन्नों से स्थल के प्रभावित होने की सम्भावना से नकारा नही जा सकता है।

1.500 कि0मी0 से 3.000 कि0मी0 के मध्य :

उक्त के मध्य मोटर मार्ग समरेखण लगभग 02 एच0पी0 बैण्डों के द्वारा आगे गुजारा जाना प्रस्तावित है जिसमे निचले पहाड़ी ढाल पर टी0एच0डी0सी0 का परिसर व पहाड़ी ढाल तीव्रता के साथ अवस्थित है जिसमें कि मार्ग कटाव के दौरान उत्सर्जित मलवा निचले भूभाग पर निक्षेपित हो सकता है जिसके लिए कटाव के दौरान उत्सर्जित मलवे को पहाड़ी ढाल पर न फैलाया जाय। समरेखण स्थल पर वर्तमान मे स्थानीय प्रजाति की घास, झाड़ियॉ व वृक्ष आदि विद्यमान हैं जिसमें कतिपय स्थलों पर मृदा का गहरा आवरण विद्यमान है। पहाड़ी ढाल पर मोटर मार्ग समरेखण स्थल मे चट्टानों के आउटक्रॉप दृष्टिगोचर हो रहे हैं जिसमें चट्टानें सतह पर वैदर्ड व थिन बैडिंग प्लेन के साथ अवस्थित हैं।

विचारणीय बिन्दु :

उक्त मोटर मार्ग समरेखण के निचले भूभाग पर टी0एच0डी0सी0 का परिसर विद्यमान है अतः उक्त परिसर के अपस्लोप मे समरेखण को गुजारने के लिए उचित सुरक्षात्मक उपायों के साथ मोटर मार्ग कटाव किया जाय।

उक्त मोटर मार्ग समरेखण निर्माण हेतु निम्न सुझाव एवं शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा :–

1. प्रश्नगत स्थल पर किसी भी निर्माण से पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय के वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में निहित प्रावधानों के अनुरूप वन विभाग से समुचित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य किया जाय।
2. मोटर मार्ग समरेखण का निर्माण कार्य सुरक्षित भूकम्पीय गुणांकों के अनुसार एवं अद्यतन नवविकसित भूकम्परोधी तकनीकी के आधार पर किया जाना सुरक्षा की दृष्टि से उचित होगा।
3. समरेखण के कटाव हेतु भिन्न–भिन्न स्थलों पर बनायी जाने वाली सुरक्षा / रिटेनिंग / ब्रेसवाल (वीप हॉल सहित) दीवारों का निर्माण उचित डिजाइनिंग के साथ किया जाय।
4. मोटर मार्ग समरेखण स्थल पर रिटेनिंग वाल व ब्रेसवाल (वीप हॉल सहित) का आधार दृढ़ व कठोर ताजा (फ्रेश) चट्टानों अथवा उचित सिविल भूअभियांत्रिकी तकनीक के साथ रखा जाय।
5. मोटर मार्ग समरेखण स्थल पर कटाव के पश्चात भूस्खलन से बचने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय शीघ्र किये जांय।

PCA

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

6. उक्त समरेखण में बनाये जाने वाले सुरक्षा दीवारों / टो वाल, ब्रेस्ट वाल, [illegible] (वीप हॉल सहित) के आधार को सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित स्थलों में जल निकासी की व्यवस्था इस प्रकार की जाय कि जल दीवार के आधार की ओर न जाने पाये तथा ढालदार क्षेत्र के सतही एवं अन्तर सतही जल को चैनलाइज करने हेतु उचित प्रबन्ध किये जायें।

7. मोटर मार्ग समरेखण के सतही जल प्रवाह को सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से नियन्त्रित कर कॉजवे स्कपर व सुरक्षित स्थल / नालों में छोड़ा जाय।

8. मोटर मार्ग समरेखण के मध्य पड़ने वाले बरसाती नालों पर पक्का कॉजवे बनाकर इस प्रकार संरक्षित / संचारित किया जाय जिससे कि सतही जल से मार्ग की सतह एवं आधार को क्षति न पहुँचे।

9. समरेखण स्थल को मोटर मार्ग हेतु विकसित करने के लिए विस्फोटकों का प्रयोग वर्जनीय अथवा परमिसिविल लिमिट तक किया जाना उचित होगा, अन्यथा चट्टानों में व्याप्त दरारों एवं जोड़ों के खुल जाने के कारण चट्टानों के फिसलन को त्वरित बढ़ावा मिलेगा।

10. मोटर मार्ग समरेखण के निर्माण में ऐसे स्थानों पर जहाँ पर पहाड़ी का ढलान अधिक है। भूस्खलन की सम्भावना को न्यून करने हेतु एंगिल ऑफ रिपोज को दृष्टिगत रखते हुए सीढ़ीनुमा सोपान युक्त प्रतिधारक दीवार (वीप हॉल सहित) तथा सतही जल की निकासी हेतु चैनल का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा। प्रतिधारक दीवार के निर्माण में पर्वतीय क्षेत्र हेतु संस्तुत अभियांत्रिकी मानकों के अनुसार निर्माण किया जाना आवश्यक होगा।

11. मोटर मार्ग समरेखण स्थल का मलवा पहाड़ी ढाल पर न फैलाकर किसी सुरक्षित स्थल पर बिछाया / एकत्रित किया जाय तथा मड फ्लो से बचने के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर लिये जांय।

12. मोटर मार्ग समरेखण में कतिपय स्थलों पर मृदा बाहुल्य पहाड़ी ढाल विद्यमान है। जिसमें से होकर मोटर मार्ग समरेखण का निर्माण किया जाना है अतः समरेखण में एच0पी0 बैण्डों को एक दूसरे के ऊपर न रखकर आगे–पीछे किया जाय।

प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखण स्थल पर एकत्रित किए गये सतही आंकड़ों, भूआकृति, भूप्रकृति एवं भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से उपरोक्त विचारणीय बिन्दु, सुझाव एवं शर्तों के साथ प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर वर्तमान परिस्थितियों मे मोटर मार्ग निर्माण हेतु उचित समझा जाता है।

PCA

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

(अमित गौरव)
सहायक भूवैज्ञानिक

भूगर्भवेत्ता द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण के दौरान भूगर्भवेत्ता द्वारा अपने निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

अमीन   कनिष्ठ अभियन्ता   सहायक अभियन्ता   अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

न्यूनतम भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु जो सिविल वन भूमि ली गयी है, वह न्यूनतम है तथा लो0नि0वि0 मानक के अनुसार इससे कम भूमि में मार्ग निर्माण सम्भव नहीं है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

पटवारी
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र..........
त0...चमोली...
जिला-चमोली

तहसीलदार
चमोली

उपजिलाधिकारी,
उपजिलाधिकारी
चमोली

वैकल्पिक भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटंर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु जिस सिविल वनभूमि का चयन किया गया है, इसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। यह भूमि केवल मार्ग निर्माण के लिये ही प्रयोग में ली गई है, तथा अन्य सार्वजनिक कार्य में नहीं ली जायेगी।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

राजस्व पटवारी निरीक्षक
क्षेत्र... हिलका...
त0..... चमोली
जिला-चमोली

तहसीलदार
चमोली

उपजिलाधिकारी,
उपजिलाधिकारी
चमोली

जिला अधिकारी
चमोली

लैण्ड शैड्यूल (वन विभाग)

कार्य का नाम :— माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

जनपद का नाम	वन प्रभाग	राजि0 कार्यालय	कम0सं0	याचित क्षेत्रफल हे0 में
1	2	3	4	5
चमोली	केदारनाथ	गोपेश्वर	रिक्त	रिक्त
	वन प्रभाग,			
	गोपेश्वर			

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

लैण्ड शैड्यूल (सिविल)

कार्य का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

जनपद का नाम	तहसील	ब्लाक	कुल खसरा नंबर	कुल रकवा हे0 में	याचित क्षेत्रफल हे0 में
1	2	3	4	5	5
चमोली	चमोली	दशोली	3	92.043	1.400
मक डिस्पोजल					0.07
		योग :–	3	92.043	1.472

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

उपराजस्व निरीक्षक
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र...[illegible]
त0...चमोली
जिला-चमोली

तहसीलदार
तहसीलदार
चमोली

उपजिलाधिकारी,
चमोली
उपजिलाधिकारी
चमोली

जिला अधिकारी
चमोली

मार्ग पर प्रभावित भूमि की स्थिति

कार्य का नाम :— माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया—सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

चैनेज मीटर में	लम्बाई मीटर में	भूमि का प्रकार (क्षेत्रफल हे0 में)			
		नाप भूमि	सिविल भूमि	आरक्षित भूमि	वन पंचायत
1	2	3	4	5	6
0-2000	2000	--	1.400	--	--
2000-2500	500	0.3500	--	--	--
Muck Disposal -			0.072		
Total -	**2500**	**0.350**	**1.472**		

अमीन 2/1/19

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

लम्बाई एवं चौड़ाई का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण में चयनित स्थल हेतु 0.35 हे0 नाप, 1.472 हे0 सिविल वनभूमि पड़ती है, मार्ग निर्माण हेतु 7.00 मी0 चौड़ाई में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है तथा मार्ग का निर्माण 7.00 मी0 चौड़ाई में किया जायेगा।

500 मी0 x 7 मी0 =	3500 वर्ग मी0	-	0.35 हे0 नाप वनभूमि
2000 मी0 x 7 मी0 =	14000 वर्ग मी0	-	1.40 हे0 सिविल वनभूमि
60 मी0 x 6 मी0 x 2=	720 वर्ग मी0	-	0.072 हे0 सिविल वनभूमि(मक डिस्पोजल)

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

पटवारी
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र... [illegible]
तo... [illegible]
जिला-चमोली

तहसीलदार
तहसीलदार
चमोली

उपजिलाधिकारी,
उपजिलाधिकारी
चमोली

बार चार्ट

कार्य का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

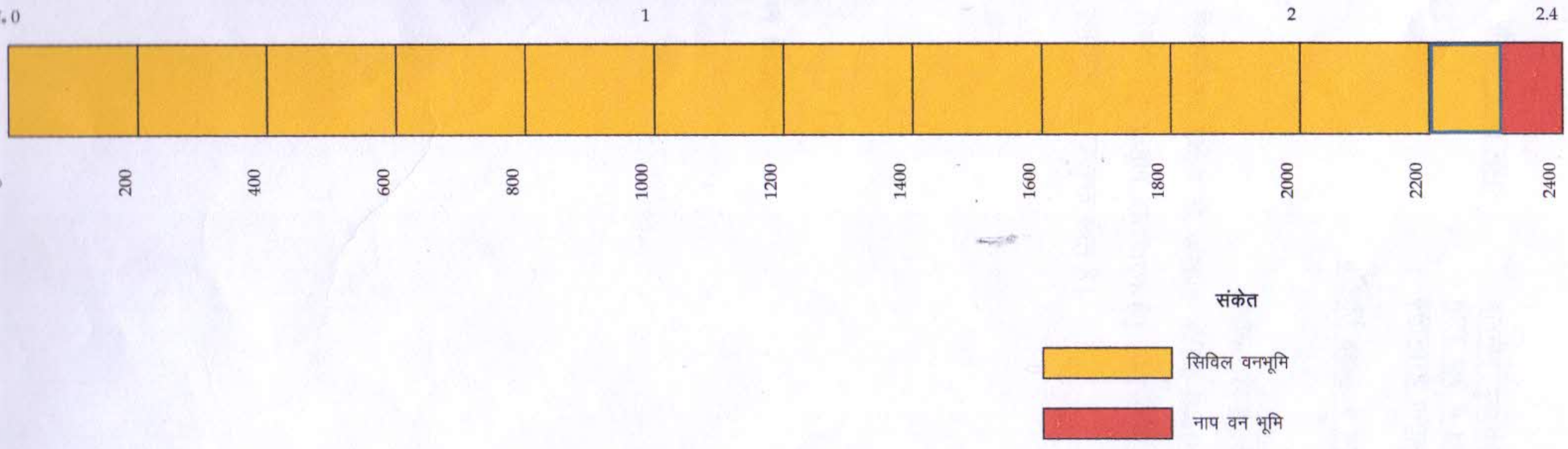

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां.खं. लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

परियोजना का नामः- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल उपयुक्त प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण हेतु ..जैसाल सिविल.......... में 2.944 हे0 सिविल भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त स्थल है।

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

उपवन संरक्षक,
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि 2.944 हेक्टयेर सिविल भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल ....जैसाल.......................... चयन किया गया है, वह उपयुक्त है।

वनक्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

उपवन संरक्षक/वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

डिजिटल मैपः–मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौडिया सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल–1.472 है0)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

जियोरेफेरेन्स मैपः–मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौडिया सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल–1.472 है0)

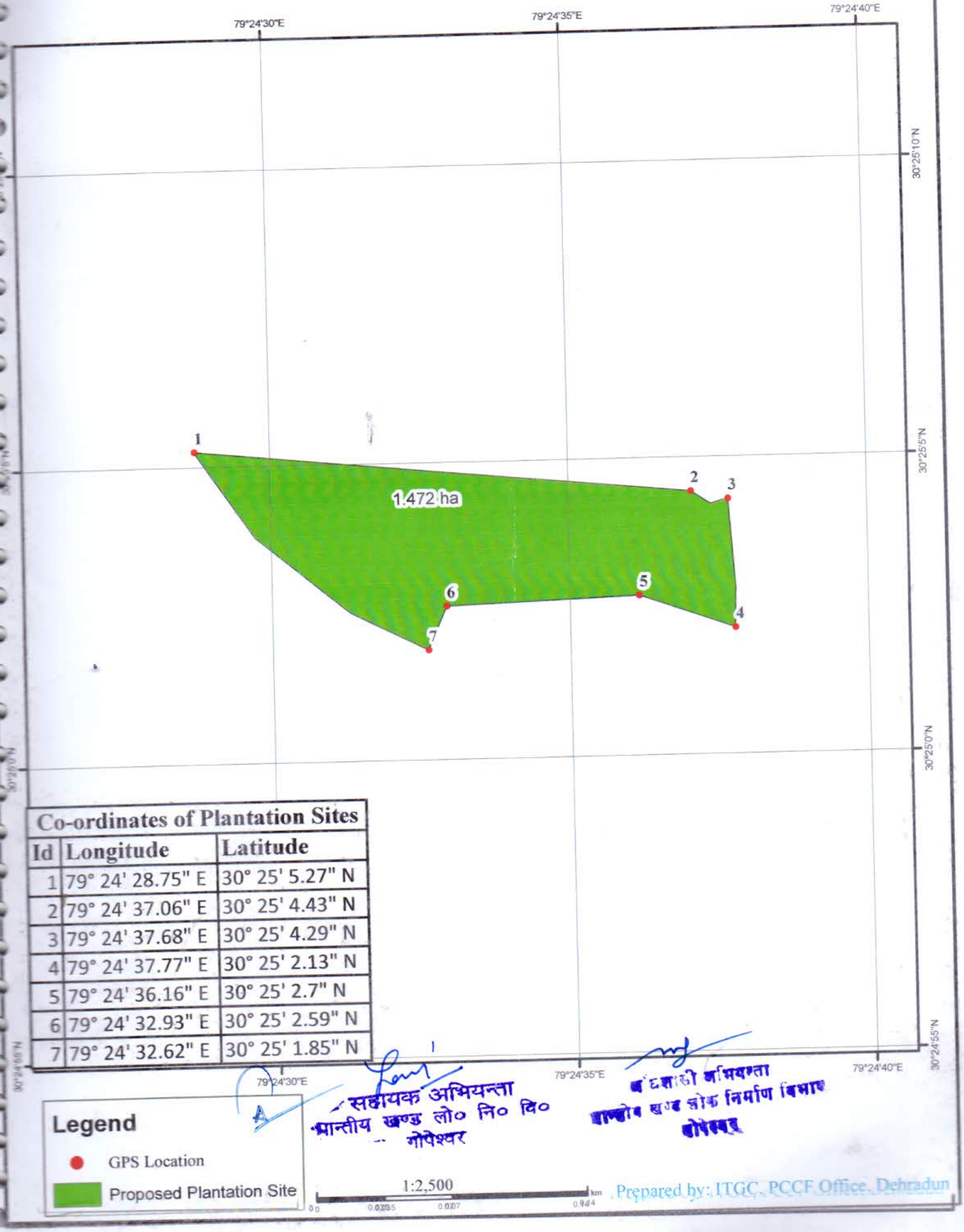

Co-ordinates of Plantation Sites		
Id	Longitude	Latitude
1	79° 24' 28.75" E	30° 25' 5.27" N
2	79° 24' 37.06" E	30° 25' 4.43" N
3	79° 24' 37.68" E	30° 25' 4.29" N
4	79° 24' 37.77" E	30° 25' 2.13" N
5	79° 24' 36.16" E	30° 25' 2.7" N
6	79° 24' 32.93" E	30° 25' 2.59" N
7	79° 24' 32.62" E	30° 25' 1.85" N

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

परियोजना का नामः- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उपरोक्त योजना हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षरापेण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि का चयन कर लिया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलने पर हस्तान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी। खसरा नम्बर 1283 ग्राम जैसाल क्षतिपूरक स्थल हेतु दिया जाता है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

जिलाधिकारी,
चमोली

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का विवरण

क्रम सं0	ग्राम का नाम	खसरा नबर	वृक्षारोपण हेतु लिया गया क्षेत्रफल (हे0 में)
1	जैसाल	1283	2.944
	सम्पूर्ण योग :-		2.944 हेक्टेयर

अमीन कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
तहसील चमोली

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैण मोटर मार्ग से ग्राम मैसाल तक मोटर मार्ग (2.944हे०) के वन भूमि प्रस्ताव हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

महोदय,

पत्रांक - 1354/23 स्त०रा० दिनांक - गोपेश्वर 07/08/2019 पर मौका किया गया क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के लिए N.Z.A. खतौनी ग्राम मैसाल के खाता सं. 25 में ख०न० 1283 रकबा 5.873 है. मु० 2.944 है. भूमि श्रेणी (10 (4)) अन्य कारणों से अकृषित भूमि उपयुक्त है।

अतः रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित,

रा० उ० नि०
हिमका

संलग्न 2 प्रपत्र
(1) N.Z.A. खतौनी संलग्न
(2) नक्शा की छायाप्रति संलग्न

ज०वि०र०खतौनी (N.Z.A) ग्राम जैसाल रा० उप०नि० क्षे० बिनका तह०ल जिला-चमोली
श्रेणी 10 (4):- अन्य कारणों से अकृषित भूमि

01	02	03	04	05	06 से 13
25	भीटा	पूर्व 1373 फसली वर्ष	73	0.026	
			102	0.015	
			124	0.020	
			128	0.036	
			144	0.015	
			154	0.325	
			188	0.300	
			189	0.465	
			211	0.010	
			241	0.006	
			251	0.018	
			315	0.005	
			317	0.029	
			318	0.020	
			454	0.210	
			474	0.020	
			532	0.011	
			544	0.031	
			564	0.815	
			570	0.030	
			572	0.043	
			584	0.020	
			651	0.076	
			697	0.145	
			745	0.114	
			793	0.016	
			797	0.118	
			805	0.133	
			821	0.155	
			853	0.118	
			869	0.018	
			944	0.055	
			1010	0.060	
			1012	0.131	
			1014	0.096	
			1049	0.015	
			1093	0.040	
			1095	0.030	
			1104	0.150	
			1106	0.283	
			1125	0.560	नोट - N.Z.A. खतौनी असल से तैयार की गई है।
			1148	0.023	
			1173	0.048	
			1187	0.643	
			1226	0.080	
			1243	0.013	
			1253	0.071	
			1283	5.873	
			1285	1.645	
			1288	1.836	तैयार किया
		योग	50	15.115	राजस्व उपनिरीक्षक रा० उ० नि० क्षेत्र बिनका तह० ... जिला-चमोली

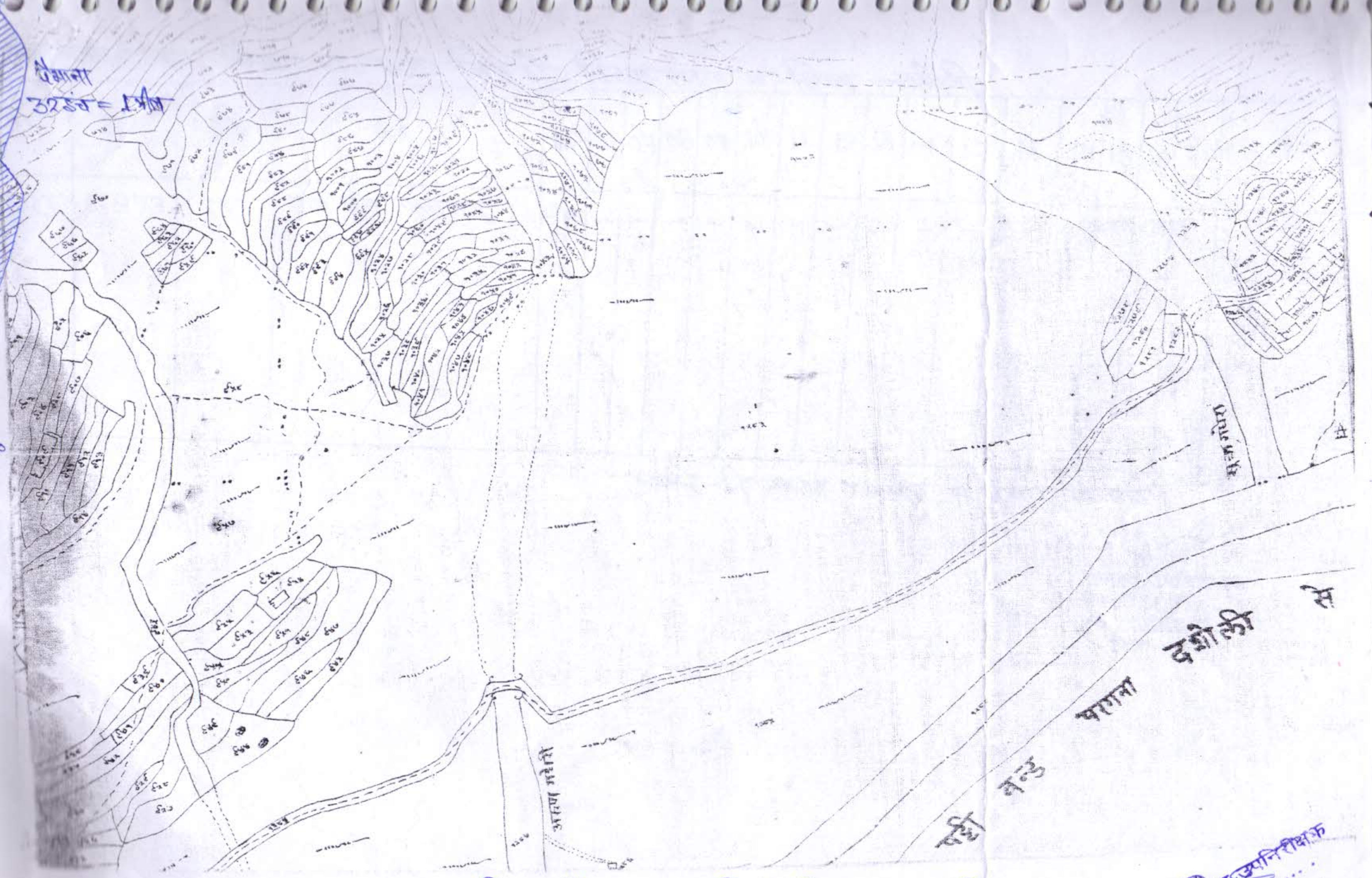

नक्शा हस्ताहित ग्राम जैसाल ह० आ० नि० श्री० हिनका वह० का जिला
—चमोली

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र रा० उ० नि०
त०
जिला

नकल खसरा ग्राम जैसाल रा० उप० नि० क्षे० हिलका तह० व जिला — चमोली

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1283	5.873	25	उ० ख सरकार	भीत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	योग 5.873			

खसरे की नकल असल से तैयार कि गई।

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र... हिलका...
त०... चमोली...
जिला-चमोली

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 1.472 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में समान अवनत वन क्षेत्र अर्थात 2.944 हे0 में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लो0नि0वि0 द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षारोपण प्राक्कलन

कार्य का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

स्थल का नाम	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित हेक्टेयर से किमी॰	प्रस्तावित रोपण कार्य का विवरण	दर प्रति किमी॰ लाख में	धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5
माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव	1.47	पौघे का मूल्य – 100 पौधे रोपण कार्य, ड्री गार्ड का ढुलान मूल्य एवं तीन वर्षो तक अनुरक्षण	3.09	4.55

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P W D
GOPESHWAR

मक डिस्पोजल के सापेक्ष वृक्षारोपण

1–परियोजना का नाम – मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन।

वृक्षारोपण स्थल का नाम– मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित प्लान के अनुसार क्षेत्रफल

रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या (कुल क्षेत्रफल × 2000 पौधे) = **144**

रोपित की जाने वाली प्रजाति– मिश्रित प्रजाति।

क0सं.	कार्य का विवरण	सं0	ल0	चौ0	ऊ0	मात्रा	दर	इकाई	धनराशि
	प्रथम वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य)								
1	वृक्षारोपण क्षेत्र में सर्वेक्षण / सीमांकन कार्य					0.072	151.00	है0	10.87
2	गढढे खुदान कार्य रेखांकन चूना सहित (0.30×0.30×0.45 मी0)					180	9.34	प्रतिगढढा	1681.20
3	डी0ए0पी0 खाद की लागत (25 ग्राम प्रति गढ्ढा)					4.80	35.00	किग्रा0	168.00
4	निरीक्षण बटिया बनाना (400रू0 प्रति है0)					0.072	600.00	है0	43.20
	योग प्रथम चरण								**1903.27**
	द्वितीय चरण								
1	गढढा भरान कार्य (0.30×0.30×0.45) रेंखांकन चूना सहित					180	1.78	प्रतिगढढा	320.40
2	पौध की कीमत					180	11.13	प्रति पौध	2003.40
3	पौध ढुलान कार्य					180	11.00	प्रति पौध	1980.00
4	पौध रोपण कार्य					180	3.46	प्रति पौध	622.80
5	पौधों की प्रथम एवं द्वितीय निराई गुडाई व मलचिंग कार्य					180	4.43	प्रति पौध	797.40
6	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष					180	2.13	प्रति सैकड़ा	383.40
7	प्रथम वर्ष में देखरेख व रखरखाव पर व्यय (07 माह)					0.072	595.00	प्रति है0 / प्रति माह	299.88
	योग द्वितीय वर्ष								**6407.28**
	तृतीय वर्ष								
1	तृतीय वर्ष में 10 प्रतिशत विडिंग अप हेतु पौध रोपण कार्य पौध की कीमत					180	11.00	प्रति पौध	1980.00
2	पौध ढुलान कार्य					180	13.00	प्रति पौध	2340.00
3	पुनः गढढा खोदना एवं रोपण करना					180	6.00	प्रति पौध	1080.00
4	गढढों में गोबर खाद डालना ढुलान सहित					180	2.44	प्रति सैकडा	439.20
5	शीतकालीन निराई गुडाई एवं मलचिंग कार्य					180	2.38	प्रति सैकडा	428.40
6	वनीकरण चौकीदार (12 माह)					12.00	595.00/hac /	माह	514.08
	योग तृतीय वर्ष								**6781.68**
	चर्तुथ वर्ष								
1	चतुर्थ वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12.00	595.00/hac / month	माह	514.08
	पंचम वर्ष								
1	चतुर्थ वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12.00	595.00/hac / month	माह	514.08
	षष्ठम वर्ष								
1	चतुर्थ वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12.00	595.00/hac / month	माह	514.08

	सप्तम वर्ष								
1	चतुर्थ वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12.00	595.00/hac / month	माह	514.08
	अष्टम वर्ष								
1	चतुर्थ वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12.00	595.00/hac / month	माह	514.08
	नवम वर्ष								
1	चतुर्थ वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12.00	595.00/hac / month	माह	514.08
	दशम वर्ष								
1	चतुर्थ वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12.00	595.00/hac / month	माह	514.08
								total	18690.79
								or	18286.00

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रा॰ नि॰
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

परियोजना का नामः– माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना में वृक्षों की सूची संलग्न है।

अमीन | कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता प्रां० खं० लो०नि०वि०, गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

पेड़ों की सूची

कार्य का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्रम सं0	कम्पार्टमेंट या गांव का नाम	पेड़ों की प्रजाति	पेड़ों की संख्या	पेड़ों की उम्र या ब्यास सेमी0	वृक्षों की संख्या		वृक्षों की दंर	वृक्षों की कीमत	वानस्पतिक नाम
					काबिल	नाकाबिल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ग्राम जैसाल सिविल	चीड़	2	0-10			113.00	226.00	Pinus wallichiana
			7	10-20			303.00	2121.00	Pinus wallichiana
			5	20-30			757.00	3785.00	Pinus wallichiana
			3	30-40			2942.00	8826.00	Pinus wallichiana
			4	40-50			6401.00	25604.00	Pinus wallichiana
2		सुरई	1	0-10			94.00	94.00	Cupressus Torulosa
			8	10-20			164.00	1312.00	Cupressus Torulosa
			8	20-30			227.00	1816.00	Cupressus Torulosa
			2	30-40			492.00	984.00	Cupressus Torulosa
3		बकैन	1	20-30			202.00	202.00	Melia Azedarach
			1	50-60			985.00	985.00	Melia Azedarach
4		तुन	2	10-20			240.00	480.00	Redcedar
			1	20-30			1464.00	1464.00	Redcedar
			1	30-40			4191.00	4191.00	Redcedar
			1	40-50			13105.00	13105.00	Redcedar
5		फलदू	2	20-30			202.00	404.00	Adina Cordifolia
			2	40-50			795.00	1590.00	Adina Cordifolia
6		गेंठी	2	10-20			101.00	202.00	Antiaris Toxicaria
7		आवंला	2	0-10			63.00	126.00	Phyllanthus Tmblica
			2	10-20			101.00	202.00	Phyllanthus Tmblica
			1	20-30			202.00	202.00	Phyllanthus Tmblica
8		जैब	2	10-20			101.00	202.00	Zaynab Bint
9		खिन्डा	2	20-30			202.00	404.00	Couroupita Guianensis
10		कचनार	1	10-20			101.00	101.00	Bauhinia Variegata
11		भीमल	1	20-30			202.00	202.00	Grewia Optiva
			1	40-50			492.00	492.00	Grewia Optiva
12		खड़ीक	2	10-20			101.00	202.00	Phoenix Sylvestris
			2	20-30			202.00	404.00	Phoenix Sylvestris
			1	40-50			795.00	795.00	Phoenix Sylvestris
			1	50-60			985.00	985.00	Phoenix Sylvestris
13		छांछरी	1	10-20			101.00	101.00	Cassia Fistula
		योग :–	72					71809.00	

अमीन — कनिष्ठ अभियन्ता — सहायक अभियन्ता — अधिशासी अभियन्ता

प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

वृक्षों का सारांश

कार्य का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

कम सं0	भूमि का प्रकार	पेड़ों की प्रजाति	व्यासवार वर्ग विवरण										
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90->	Total
1—	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ग्राम जैसाल												
		चीड़	2	7	5	3	4	--	--	--	--	--	21
		सुरई	1	8	8	2	--	--	--	--	--	--	19
		बकैन	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	2
		तुन	--	2	1	1	1	--	--	--	--	--	5
		फलदू	--	--	2	--	2	--	--	--	--	--	4
		गेंठी	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	2
		आवंला	2	2	1	--	--	--	--	--	--	--	5
		जैब	-	2	--	--	--	--	--	--	--	--	2
		खिण्डा	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	2
		कचनार	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
		भीमल	-	-	1	--	1	--	--	--	--	--	2
		खड़ीक	--	2	2	--	1	1	--	--	--	--	6
		छांदरी	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
	योग		5	27	23	6	9	2	0	0	0	0	72

वन संरक्षक

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

उत्पादित मलवे का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु जो भूमि ली जा रही है, मार्ग का निर्माण उससे कम चौड़ाई में किया जायेगा तथा मार्ग निर्माण से उत्पादित मलवे का निस्तारण हियर पिन बैण्ड, दीवार निर्माण एवं निर्माण कार्य में किया जायेगा। अवशेष मलवे की निस्तारण योजना संलग्न है।

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

MUCK DISPOSAL EXCERISISE INDEX

1- Construction of Kodiya-Siasain motor road to Jaisal Village motor road. Under Mukhyamatri Sadak Sanyojan Yojana.

2- Details of Muck Disposal Yards with Land Owner Annexure II

Annexure -I

Name of Work :- Construction of Kodiya-Siasain motor road to Jaisal Village motor road. Under Mukhyamatri Sadak Sanyojan Yojana.

Sl. No.	Item	No.	L	B	H	Quantity	Unit
1	Material received from hill side cutting taking 80% of total quanitity						
		(1x1/2x2500x7x3)x80%				21000.00	Cum
2	Swell Factor	Taking 40% of total quantity				8400.00	Cum
				Total Muck -		**29400.00**	**Cum**
			DISPOSAL AND USE OF MATERIALS				
1	R.R. stone masonry 1:6	1x80	15.00	(0.60+1.27)/2	2.00	2244.00	Cum
2	R.R. stone masonry laid in Dry	1x100	20.00	(0.60+1.27)/2	2.00	3740.00	Cum
3	H.P. stone filling	1x100x1/3	20.00	(1+.5)/2	1.50	750.00	Cum
4	P/L of wire creat wall	1x 30	3.00	1.50	1.50	202.50	Cum
5	C/O parapets	1x32	3.00	0.60	0.45	25.92	Cum
6	Granular sub base/base/ surface	1x6	200.00	3.75	0.10	1500.00	Cum
				Total Used Materials :-		**8462.42**	**Cum**
	Material Disposal by Cartage in Dumping Yard					**20937.58**	**Cum**

LOCATION AND QUANTITY OF DEBRIES DISPOSAL

Sl. No.	Location of dumping yard	Size of dumping yard	Type of land	capacity of dumping yard	Unit
1		60x6x3.50	Civil Land	1260.00	cum
2		60x6x3.50	Civil Land	1260.00	
			Total-	**2520.00**	**Cum**

SUMMARY OF DABRIES (MUCK) DISPOSAL

Sl. No.	Total Dabries	Material diposed by Cartege	Reused materials (road construction)	Total Disposal in Dumping Zone	Balance Dabries
1	29400.00	20937.58	8462.42	20937.58	0.00

Annexure -II

Details of Muck Disposal Yards with Land Owner Detail

Sl. No.	Chainage	Name of Land Owner & Village	Land in Hec.	Land in Sqm	Land area being used for dumping yard (sum)	Longitude	Latitude
1		Uttarakhand Govt. Land	0.300	3000.00	360.00	79°24'40.60" E	30°25'6.60" N
			0.300				
2		Uttarakhand Govt. Land	0.275	2750.00	360.00	79°24'17.30" E	30°25'2.62" N
			0.275				
		Grand Totla-	0.575	5750.00	720.00		
	Taking only Civil Land -			or	0.072	Hec.	

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

" अनापत्ति पत्र "

हम समस्त ग्राम वासी ग्राम जैसाल प०क्षे० छिनका तहसील एवं जिला चमोली वाले यह अनापत्ति पत्र लिखकर दे देते हैं कि मौजा जैसाल के सीमान्तर्गत सियासैण नामक तोक में रेशम विभाग से टी० एच० डी० सी० इ० लि० सियासैण के कम्पाउण्ड के पीछे से होते हुए स्यूडा गदेरे से दाणी देवता मन्दिर के नीचे तथा जाख देवता मन्दिर के नीचे से राजकीय माध्यमिक विद्यालय जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य में हम ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है और न ही भविष्य में हमें कोई आपत्ति होगी, इसलिए यह अनापत्ति पत्र हस्ताक्षरित कर देते हैं, ताकि प्रमाण रहे वक्त जरूरत पर काम आये. दिनांक

क्र०सं०	नाम		हस्ताक्षर
1	GANGA RAM		[signature]
2	हरीश प्रकाश	जगदम्बा ...	हरीश
3	राजेन्द्र प्रसाद		राजेन्द्र
4	DINESH	Lalit	[signature]
5	[illegible]	Deepak	[illegible]
6	तारादत्त	सुनील	तारादत्त
7	हीरालाल		हीरालाल
8	मो० सिं० जैसाल	Sanjay	[signature]
9	दुर्गाप्रसाद	सौरभ	[signature]
10	Arun ...	कमलादेवी	आशाराम
11	अनुसूया प्रसाद	Subash	अनुसूया प्रसाद
12	[signature]	[signature]	
13	अनीता देवी	कमला देवी	अनीता देवी
14	चन्द्रमणि		चन्द्रमणि
15	[illegible]		[signature]

ग्राम पंचायत जैसाल
प्रधान
ह०.... [signature]
दिनांक....
वि० ख० दशोली चमोली

(2)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण जनहित का निर्माण है। इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ग्राम वासियों की आम सभा हुई। आम सभा में निर्णय लिया गया कि इस निर्माण पर पड़ने वाली नाप भूमि/सिविल/आरक्षित भूमि आदि किसी प्रकार की भूमि में मोटर मार्ग निर्माण में इस ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है। मोटर मार्ग का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जाता है ।

प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत जैसाल
ह० मीनादेवी
दिनांक 5/4/2019
वि० ख० दशोली चमोली

कार्य का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौडिया-किमसैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग

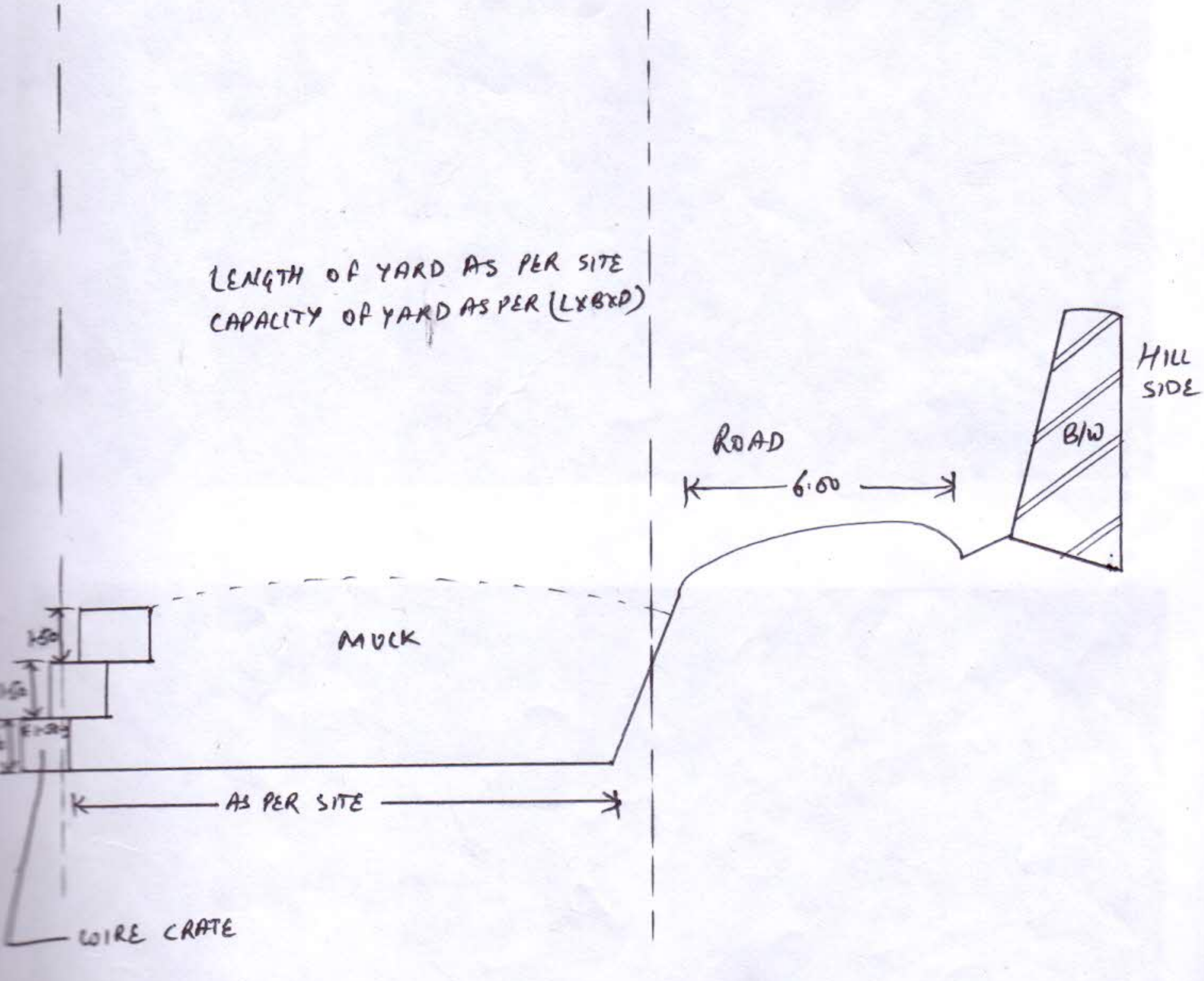

TYPICAL SECTION OF MUCK DISPOSAL YARD

J.E

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक 2.50 किमी0 मोटर मार्ग के मक डिस्पोजल स्थल का विवरण।

Km - 1

Km - 2

1–परियोजना का नाम – मा0 मुख्यमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग एवं 30मी0 स्पान मोटर लौह सेतु के निर्माण ।

2–क्षेत्रफल 1.472 है का दुगना 2.944 है0

3–रोपित की जाने वाली पौधों की सं0–2000 पौध प्रति है0 5,888 पौध

4–क्षेत्र का नाम –

रोपित की जाने वाली प्रजाति– कचनार, तिमला, काफल, भीमल, खड़िक, तुन, रीठा, आंवला,तेजपात आदि।

क्र0सं.	कार्य का विवरण	सं0	ल0	चौ0	ऊ0	मात्रा	दर	इकाई	धनराशि
	प्रथम वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य)								
1	वृक्षारोपण क्षेत्र में सर्वेक्षण / सीमांकन कार्य					3.00	151.00	है0	453.00
2	स्थल सफाई कार्य करना					2.944	5050.00	है0	14867.20
3	कालाबांसा प्रबन्धन कार्य 50 से 100 प्रतिशत तक					2.944	6386.00	है0	18800.38
4	50 मी0 की दूरी पर एकत्रीकरण एवं फुकान कार्य					2.944	961.00	है0	2829.18
5	पत्थरों की कुली दीवाल बनाना 15 सेमी0 बुनियाद सहित					2.944	28026.00	है0	82508.54
6	मृदा एवं जल संरक्षण हेतु कच्चे चाल खालों का निर्माण एवं अन्य अभियन्त्रिकी कार्य					2.944	9859.00	है0	29024.90
7	गढढे खुदान कार्य रेखांकन चूना सहित (0.30×0.30×0.45 मी0)					5880	9.34	प्रतिगढढा	54919.20
8	निरीक्षण बटिया बनाना					2.944	600.00	है0	1766.40
9	कण्टूर नाली खोदना (0.30×0.20 मी0)					600	8.35	मी0	5010.00
10	अन्य व्यय जैसे संयन्त्र औजार आदि								3000.00
	योग प्रथम चरण								**213178.81**
	द्वितीय चरण								
1	गढढा भरान कार्य					5880	1.78	प्रतिगढढा	10466.40
2	पौध की कीमत					5880	11.13	प्रति पौध	65444.40
3	पौध ढुलान कार्य					5880	11.00	प्रति पौध	64680.00
4	पौध रोपण कार्य					5880	3.46	प्रति पौध	20344.80
5	पौधों की प्रथम एवं द्वितीय निराई					5880	4.43	प्रति पौध	26048.40
6	वृक्षारोपण के अन्तर्गत सूखी घास एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना					L-S			5000.00
7	सुरक्षा दीवाल / घेरबाड के बाहर 4.00 मी0 तक पटटी साफ करना								5000.00
8	वाचर(08 माह 595 प्रति है 0प्रति माह					8.00	595.00/hac /		14013.44
9	अन्य व्यय जैसे साइन बोर्ड लगाना पौध ढुलान हेतु रस्सी कण्डी पालीथीन सीट आदि कय करना					LS			5000.00
10	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन देना					4	5000.00		20000.00
	योग द्वितीय वर्ष								**235997.44**
	तृतीय वर्ष								
1	तृतीय वर्ष में 10 प्रतिशत विडिंग अप हेतु पौध रोपण कार्य पौध की कीमत					600.00	11.00	प्रति पौध	6600.00
2	पौध ढुलान कार्य					600.00	13.00	प्रति पौध	7800.00
3	पुनः गढढा खोदना एवं रोपण करना					600.00	6.00	प्रति पौध	3600.00

4	गढढों में गोबर खाद डालना ढुलान सहित					600.00	2.44	प्रति पौध	1464.00
5	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाल ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन देना					4	5000.00	सं0	20000.00
6	शीतकालीन निराई गुडाई एवं मलचिंग कार्य करना					5880.00	2.38	प्रति पौध	13994.40
7	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य					2.944	500.00	है0	1472.00
8	वनीकरण चौकीदार (12 माह)					12.00	595.00/hac /	माह	21020.16
9	अन्य व्यय जैसे साइन बोर्ड लगाना पौध ढुलान हेतु रस्सी कण्डी पालीथीन सीट आदि कय करना					LS			8400.00
	योग तृतीय वर्ष								**84350.56**
	चर्तुथ वर्ष								
1	चतुर्थ वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12.00	595.00/hac / month	माह	21020.16
2	अन्य व्यय					L-S			15000.00
	योग चतुर्थ वर्ष								**36020.16**
	पंचम वर्ष								
1	चतुर्थ वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12.00	595.00/hac / month	माह	32915.40
2	अन्य व्यय					L-S			20000.00
	योग पंचम वर्ष								**52915.40**
	षष्ठम वर्ष								
1	चतुर्थ वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12.00	595.00/hac / month	माह	21020.16
2	अन्य व्यय					L-S			25000.00
	योग षष्ठम वर्ष								**46020.16**
	सप्तम वर्ष								
1	चतुर्थ वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12.00	595.00/hac / month	माह	32915.40
2	अन्य व्यय					L-S			30000.00
	योग सप्तम वर्ष								**62915.40**
	अष्टम वर्ष								
1	चतुर्थ वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12.00	595.00/hac / month	माह	21020.16
2	अन्य व्यय					L-S			35000.00
	योग अष्टम वर्ष								**56020.16**
	नवम वर्ष								
1	चतुर्थ वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12.00	595.00/hac / month	माह	21020.16
2	अन्य व्यय					L-S			35000.00
	योग नवम वर्ष								**56020.16**
	दशम वर्ष								
1	चतुर्थ वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12.00	595.00/hac / month	माह	21020.16
2	अन्य व्यय					L-S			38000.00
	योग दशम वर्ष								**59020.16**
								total	**902458.41**
								or	**902427.00**

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी

प्रारुप - 25

परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यरण का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित् सड़क योजना की वन्य जीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी लगभग 1.97 किमी0 (किमी0 मात्र) है।

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

परियोजना का नामः- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यरण से दूरी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग/मार्ग से राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण की दूरी 1.97 किमी0 है।

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर।

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

वन्य जीव/राष्ट्रीय पार्क से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.472 हे0 सिविल वनभूमि, राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव बिहार का हिस्सा नहीं है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। वन भूमि हस्तानान्तरण होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता प्रां0 खं0 लो0नि0वि0, गोपेश्वर

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.

(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping is view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in roak. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made

(v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In

certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with go d results.

(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

अमीन | कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता

प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

मानक शर्तें

(वन अनुभाग -3, उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या 7314/14-3-980/82 दिनांक 31-12-1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिर्वतन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी ।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जावेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदाति नहीं ।
3. य़ाचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा ।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिथ्त कोई अन्य वैकल्पिकभूमि उपलब्ध नहीं है
5. हस्तांतरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेंगें, और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा ।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकाऱी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की देखभाल करेगा
7. हस्तांतरित वन भूमि पर विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तांतरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी ।
8. बहुमूल्य वन संपदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथासम्भव व्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन संपदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छंद विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जायेगी ।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौंधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा अपलब्ध करायी जायेगी ।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति बिना किसी प्रकार के प्रतिकर भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी । वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगी ।
11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर ष्एलाइनमेंटष तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्रप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी. दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वंन मार्गों को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है ।

12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धि प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा ।

13. वन भूमि में खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तरांचल वन विकास निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन करना आवश्यक हो, तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा । 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है । इसी प्रकार बांज (OAK) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊंचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिर्वाय प्रतीत होता है , जो न्यूनतम पेड़ों की संख्या सुयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोंनों पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक विभाग अपने व्यय से स्वयं करायेगा।

17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ठ प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगायी जाती हैं, तो वे याचक विभाग को मान्य होगी ।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये ।

उपरोक्त शर्तें लोक निर्माण विभाग को मान्य हैं ।

अमीन | कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता

प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की सभी शर्तें याचक विभाग को पूर्ण रुप से मान्य है ।

अमीन | कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

मकान पेड़ आदि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण में पडने वाली भूमि के अन्दर कोई भी मकान, मंदिर, कब्रस्थान, मस्जिद आदि नहीं पड़ते है ।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

पटवारी
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र......
त०......चमोली
जिला-चमोली

तहसीलदार
चमोली

उपजिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
चमोली

<u>परियोजना का नाम :-</u> <u>माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।</u>

<u>वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान लो0नि0वि0 द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

अमीन | कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

<u>परियोजना का नामः-</u> <u>माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।</u>

<u>कैरोसिन आयल/वैकल्पिक ईंधन का प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य के समय विभागीय ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को कैरोसिन आयलन/वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अमीन कनिष्ठ अभियन्ता सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची एवं परिवारों की संख्या का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण के पूरी लम्बाई में निर्माण हो जाने से से निम्न ग्राम/आबादी प्रत्यक्ष रुप से लाभान्वित होंगें

क्रम सं°	ग्राम का नाम	परिवारों की संख्या	2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	जैसाल	45	181
2.			
3.			
	योग :-	**45**	**181**

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

एन.पी.वी. प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि की स्वीकृति मिलने पर एन.पी.वी. की धनराशि यदि मा0 उच्च्तम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में बृध्दि की जाती है, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुरुप बढ़ी हुई एन0पी0वी0 धनराशि का भुगतान वनविभाग को किया जायेगा।

अमीन | कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

एन.पी.वी./ईको क्लास प्रमाण पत्र
(मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार)

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु पड़ने वाली वनभूमि ईको क्लास ....V.................... तथा डेंस फारेस्ट (0.3.) के अन्तर्गत आता है, जिसका एन0पी0वी0 का मूल्य 1.472 हे0 x रु0=12,43,840.00की दर से
8,45,000.00

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

सीमांकन प्राक्कलन

कार्य का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

स्थल का नाम	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित हेक्टेयर से किमी०	प्रस्तावित रोपण कार्य का विवरण	दर प्रति किमी० लाख में	धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5
माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव	आर0सी0आर0 पिलर (मुनारा) बनाना, 1:6 सीमेंट मय प्लास्टर करना, दो कोट चूना सफेदी	4.00		

परियोजना का नामः- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सीमा पिलरों पर होने वाले व्यय का प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य के समय सीमा पिलरों पर होने वाले व्यय को इस विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

अमीन कनिष्ठ अभियन्ता सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

चैक लिस्ट का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव में चैक लिस्ट के अनुरुप समस्त सूचनायें संलग्न की गई हैं।

अमीन   कनिष्ठ अभियन्ता   सहायक अभियन्ता   अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

फैक्ट सीट

1 कार्य का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

2 प्रस्तावत भूमि का वैघानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे॰) :–

आरक्षित वन भूमि –	--
सिविल एवं सोयम वनभूमि –	1.472
वन पंचायत वन भूमि –	
निजी भूमि –	0.350
योग –	**1.822**

3 प्रस्तावक विभाग का नाम :– प्रां॰खण्ड, लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर

4 वन प्रभाग का नाम :– केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर

5 प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है – हां/नहीं

6 प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है – हां/नहीं

7 क्या भारत सरकार के प्रारुप के भाग 1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है – हां/नहीं

8 क्या प्रारुप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है – हां/नहीं

9 प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है –

10 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है – हां/नहीं

11 बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरेक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है – हां/नहीं

12 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है –

13 समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रुप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है – हां/नहीं

14 क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली घनत्व सही है – हां/नहीं

15 क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है – हां/नहीं

16 क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है – हां/नहीं

17 प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है – हां/नहीं

18 क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है – हां/नहीं

19 प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है – हां/नहीं
यदि हां तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है – हां/नहीं

20 क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है – हां/नहीं

21 प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है – (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाता है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) हां/नहीं

22 क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग–2 रंगों से भरा है – हां/नहीं

23 यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है – हां/नहीं

24 क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षक) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन हुआ है –

25 यदि उल्लघंन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों /कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।

26 सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं – हां/नहीं

27 वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) हां/नहीं

28 लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रुप में प्रस्तुत है – हां/नहीं
(5 हे॰ से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)

29 मानचित्र व बार चार्ट में एकरुपता है – हां/नहीं

30 मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है – हां/नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है – हां/नहीं

31 राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न हैं – हां/नहीं

32 क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है, यदि छाया प्रतियां संलग्न की गयी हें तो क्या वे सत्यापित हैं – हां/नहीं

33 यदि वनभूमि लीज पर दी जानी हे तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है –

34 वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है – हां/नहीं

35 क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है – हां/नहीं

36 क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्रा संलग्न हैं – हां/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं

अधिशासी अभियन्ता

अन्य वैकल्पिक संरेखण प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु दो विकल्पों पर विचार किया गया, किन्तु प्रस्तावित संरेखण उपयुक्त है। इस संरेखण से अधिक से अधिक ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं तथा कम से कम वन सम्पदा का नुकसान हो रहा है। भू-गर्भवेत्ता द्वारा भी प्रस्तावित संरेखण को उपयुक्त बताया गया है।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता प्रां० खं० लो०नि०वि०, गोपेश्वर

स्थल विशिष्ट होने/न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में दशोली विकास खण्ड के अन्तर्गत यह मार्ग पर्यटन की दृष्टि से विशिष्ट स्थल नहीं है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

खसरे की नकल

कार्य का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्रम सं0	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे0 में	खाता नम्बर	नाम भूमिधर	लिया गया रकबा हे0	भूमि किस्म	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्राम जैसाल सिविल						
	153 म0	0.590	12	उत्तराखण्ड सरकार	0.050	बंजर	
	1105 म0	86.940	26	उत्तराखण्ड सरकार	0.750	चट्टान	
	289 म0	4.513	13	उत्तराखण्ड सरकार	0.600	भीटा	
3	मक डिस्पोजल						
				उत्तराखण्ड सरकार	0.072		
		92.043		योग :–	1.472		

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र...
त0...
जिला चमोली
अमीन

तहसीलदार
कनिष्ठ अभियन्ता

उपजिलाधिकारी
सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

कार्य का नाम :- मा० मुख्य मंत्री सड़क सम्पर्क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में कौडिया सियासैण मोटर मार्ग से ग्राम जौसाल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य ग्राम जौसाल तहसील चमोली

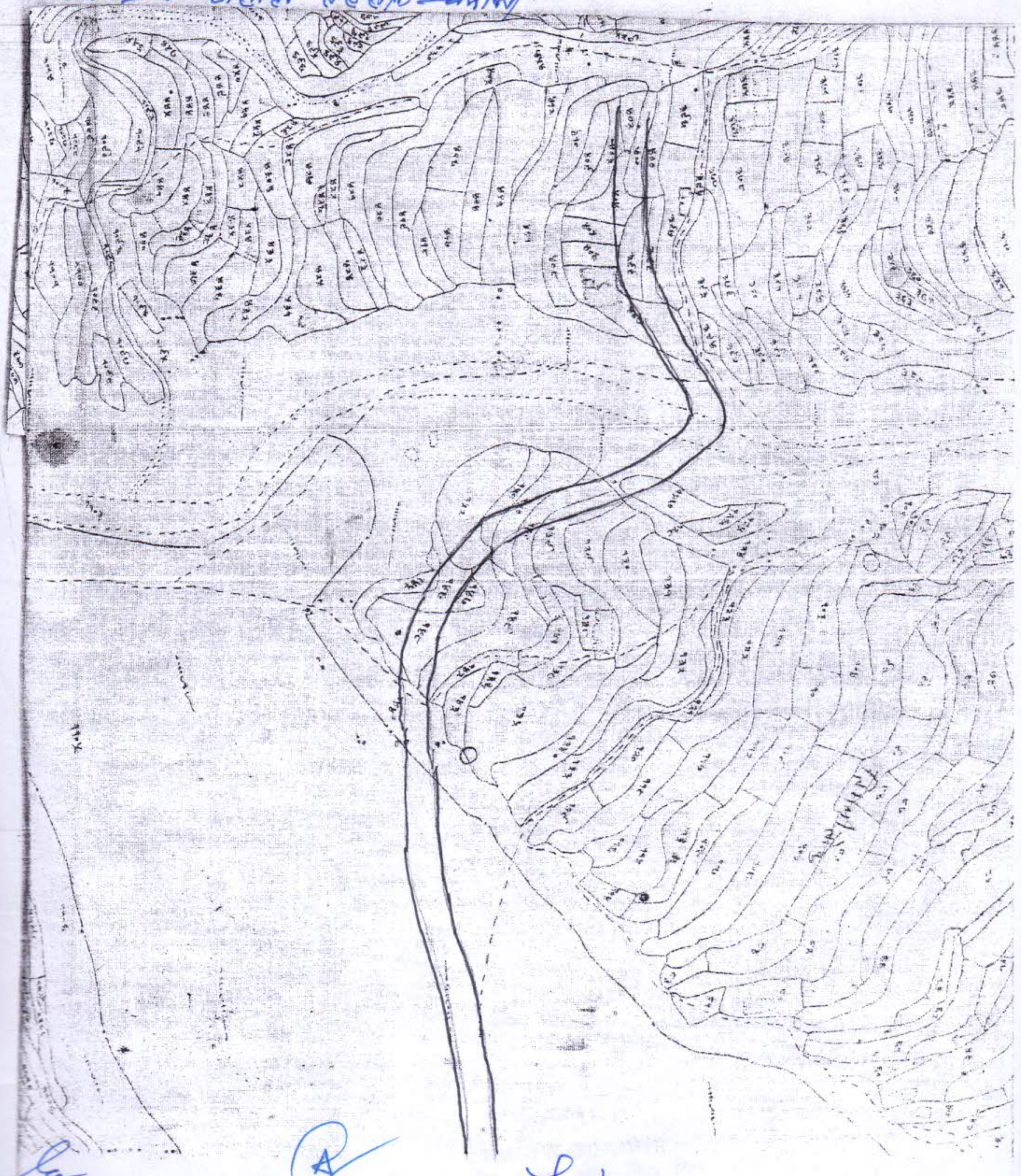

प्रधान

ग्रा० प्र०

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

राजस्व उपनिरीक्षक
चमोली

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी
चमोली

कार्य का नाम - मा० मुख्यमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में
गौड़िया सिमोसैरा मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग का निर्माण
कार्य ग्राम जैसाल तहसील चमोली

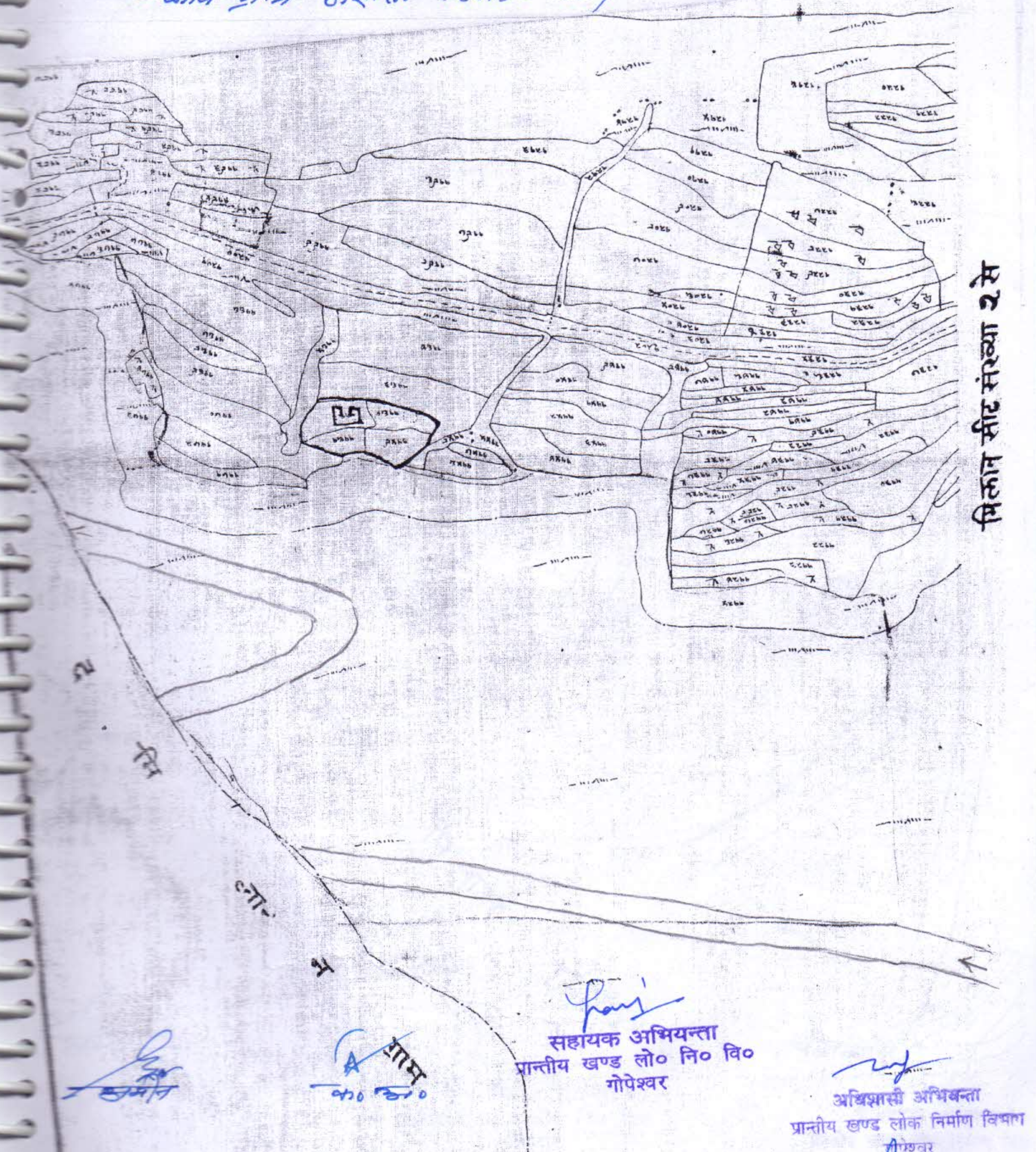

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

राजस्व उपनिरीक्षक

तहसीलदार

चमोली

कार्य का नाम – मा० मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में कोठियाल सैंण हेलीपैड मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग ग्राम हाट तहसील चमोली

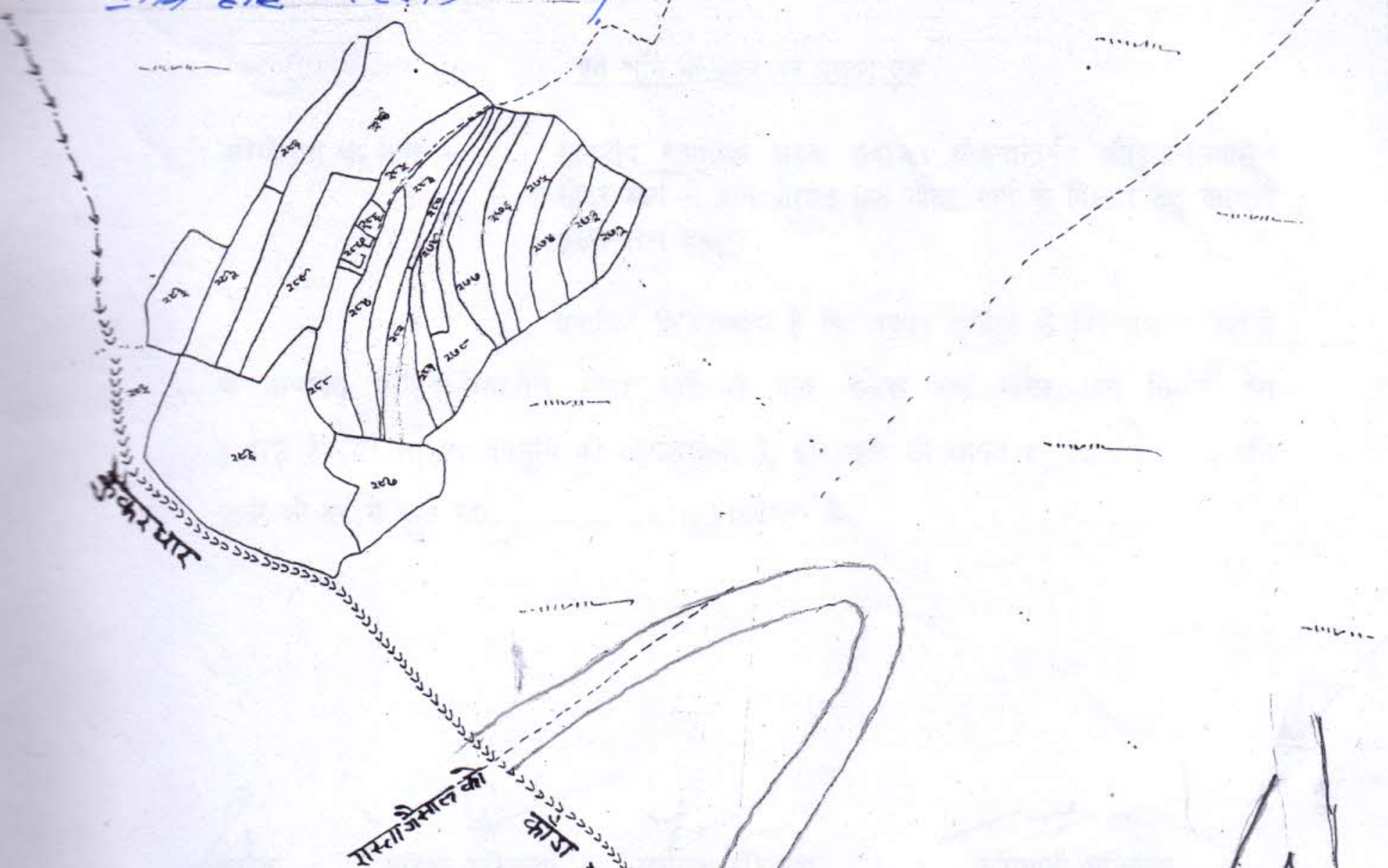

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

पटवारी
राजस्व उपनिरीक्षक

तहसीलदार
चमोली

उपजिलाधिकारी
चमोली

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.472 हेक्टेयर सिविल वनभूमि की आवश्यकता है, इस भूमि की लागत ₹ .... प्रति नाली की दर से कुल रु0 .... निर्धारित है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

पटवारी
राजस्व
क्षेत्र... ध्विनका...
त0.... चमोली
जिला-चमोली

तहसीलदार
चमोली

उपजिलाधिकारी,
चमोली

गैर वानिकी एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.472 है0 सिविल वनभूमि की क्षति पूर्ति वृक्षारोपण लोक निर्माण विभाग के व्यय से अवनत वन भूमि के दुगने क्षेत्र में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण करा दिया जायेगा, तथा जो भी धनराशि वृक्षारोपण के लिये निर्धारित की जायेगी, लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र ...हिलका...
त० ...चमोली
जिला-चमोली

तहसीलदार
चमोली

उपजिलाधिकारी,
चमोली

शर्त सहमति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु ली गयी सिविल वन भूमि हस्तांतरण हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार व वन विभाग द्वारा लगाई गयी सम्पूर्ण शर्तें लोक निर्माण विभाग को मान्य हैं ।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

भूमि सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव में दर्शायी गयी भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि नहीं पड़ती है। वांछित वन भूमि न्यूनतम है।

अमीन कनिष्ठ अभियन्ता सहायक अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

अमीन   कनिष्ठ अभियन्ता   सहायक अभियन्ता   अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

सिविल/आरक्षित/वन पंचायत वन भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कौड़िया-सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.472 हे0 सिविल वनभूमि ली गई है, उसको मोटर मार्ग/मार्ग निर्माण के प्रयोजन हेतु संस्तुति की जाती है।

अमीन कनिष्ठ अभियन्ता सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर